प्रकाशन का 44 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 44 अंक – 38 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 16 – 23 सितम्बर 2019 मूल्य पांच रूपए

भ्रष्टाचार पर जीरो ट्रालरैन्स के दावे हुए हवा-हवाई

92 करोड़ की न्यूनतम दर को छोड़ 100 करोड़ में करवाया काम

रामलाल ठाकुर की पत्रकार वार्ता और विधानसभा सवाल के बावजूद नही जागी सरकार

एक भी हिमाचली को नही मिला लेबर तक का काम

दलालों के चलते लगा 8 करोड़ का चूना

हाईड्रो इन्जीनियरिंग कॉलेज निर्माण में

शिमला/शैल। हिमाचल सरकार बिलासपुर के बन्दला में एक हाईड्रो इन्जिनियरिंग कॉलिज बना रही है। इस कालिज के निर्माण की जिम्मेदारी भारत सरकार की ऐजैन्सी एन पी सी सी को दी गयी है। इस निर्माण की प्रक्रिया 2017 में शुरू हुई थी। दिसम्बर 2017 में इसके लिये निविदायें आमन्त्रित की गयी थी जिसमें पांच ऐजैन्सीयों ने भाग लिया था। जब निविदायें बीओजी में खोली गयी तब इनमें एन पी सी सी के रेट सबसे कम 3.4% पाये गये और इस निर्माण की जिम्मेदारी इस ऐजैन्सी को सौंप दी गयी। यह जिम्मेदारी सौंपते हुए बी ओ जी ने स्पष्ट कहा था कि **Therefore, keeping in view the lowest departmental charges into consideration as quoted by all the five agencies for the construction of Hydro Engg. College campus at Bandla (Bilaspur) the Department charges as quoted by the NPCC were found to be the lowest i.e. @3.4%, which includes the consultancy work for designing, planning, preparation of architectural drawings, execution and supervision of construction of campus of Hydro Engineering College. The BOG constituted a Committee to finalize the space norms and other requirements to be transmitted to the executing agency for formulation of the master plan and further, authorized the Member Secretary to issue letter to the executing agency i.e. NPCC Ltd. In this regard. The Technical committee shall submit the space norms etc. to the executing agency within 2 weeks and the Executing Agency shall submit the presentation of the master plan to the BOG by 31st January 2018.**

यह जिम्मेदारी लेने के बाद एन पी सी सी ने अगली प्रक्रिया शुरू की। इसके तहत उसने निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारों/कंपनीयों से टैण्डर आमन्त्रित किये। इस काम के लिये प्रदेश सरकार को सौ करोड़ का धन केन्द्र सरकार ने उपलब्ध करवाया है और यह जानकारी एन पी सी सी को हो गयी थी। ठेकेदारों /कंपनीयों ने भी इसी कुल राशी को देखकर अपने -अपने रेट टैण्डर में ऑफर किये। इसके लिये टैक्नीकल और वित्तिय दोनों निविदायें अलग- अलग आमन्त्रित की गयी थी। इसलिये पहले टैक्नीकल निविदायें खोली गयी इनमें तय मानकों के आधार पर जो जो सही पाये गये उनकी वित्तिय निविदायें खोली गयी इनमें एक कम्पनी ने यह काम 92 करोड़ में पूरा करने की ऑफर दी थी और दूसरी ने 100 करोड़ में करने की ऑफर दी थी। इसके आधार पर यह काम 92 करोड़ की ऑफर देने वाले को आवंटित होना चाहिये था। लेकिन एन पी सी सी ने यह काम 92 करोड़ को छोड़कर 100 करोड़ वाले को आवंटित कर दिया। इस तरह टैण्डर में ही प्रदेश सरकार को 8 करोड़ का चूना लगा दिया गया। ऐसा क्यों हुआ इसका खुलासा वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री और अब श्री नयना देवी के विधायक राम लाल ठाकुर ने बिलासपुर में एक पत्रकार वार्ता में किया था। रामलाल ठाकुर ने आरोप लगाया था कि जो कंपनी यह निर्माण कार्य कर रही है उसने काम का अधिकारिक आंवटन होने से पहले ही मौके पर काम कैसे शुरू कर दिया है। उन्होंने यह सवाल पूछा था कि कंपनी को कैसे पता चल गया है कि काम उसी को मिल रहा है। कैसे तकनीकी निदेशालय ने कंपनी को आवंटन से पहले ही साईट सौंप दी है। रामलाल ठाकुर ने पत्रकार वार्ता में वाकायदा इसका वीडियो तक जारी किया था। बल्कि उसके बाद विधानसत्र में इस पर प्रश्न भी पूछा था जो कि संयोवगश अन्त में लगा होने के कारण चर्चा में नही आ सका था।

रामलाल ठाकुर की पत्रकार वार्ता के बाद यह मामला विभाग और सरकार के संज्ञान में आ गया था। एन पी सी सी प्रदेश सरकार के लिये काम कर रही है। यह पैसा 100 करोड़ रूपया प्रदेश सरकार का है। इसलिये यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उसके पैसे का कोई दुरूपयोग न हो। स्वभाविक है कि जब 92 करोड़ और 100 करोड़ ऑफर करने वाली दोनो कंपनीयां तकनीकी आधार पर सही तथा बराबर पायी गयी तभी उनकी वित्तिय निविदायें खोली गयी और उनके रेट सामने आये। यह रेट सामने आने के बाद नियमानुसार यह काम 92 करोड़ ऑफर करने वाले को आवंटित होना चाहिये था जो कि नही हुआ और सरकार का आठ करोड़ का सीधा नुकसान हो गया। यही नही 3.4% रेट के हिसाब से एन पी सी सी को भी 3. 4 करोड़ से कम देने पड़ते। राज्य सरकार के संवद्ध विभाग आज तक इस घपले पर चुप है जबकि विभाग के शीर्ष तक इसकी जानकारी है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की इस ऐजैन्सी पर ऐसे ही घपलों के कई आरोप लगे हुए हैं और इन्ही आरोपों के कारण अब इस ऐजैन्सी को भंग भी कर दिया गया है। कई मामलों को लेकर सीबीआई की जांच भी चल रही है और कई अधिकारी

सीबीआई शिकंजे में आ भी चुके हैं। चर्चा है कि इस ऐजैन्सी में दलालों का दबदबा बढ़ गया था। सरकारी ऐजैन्सी होने के नाम पर दलाल सरकारी विभागों में काम का जुगाड़ बैठाते थे और इसके लिये अपनी जेब से भी निवेश करते थे और बाद में अपनी पंसद के ठेकेदार को काम देकर मोटी कमाई करते थे। जैसे कि इसी कालिॅज के निर्माण में सामने आया है। जो काम एक आदमी 92 करोड़ में करने को तैयार है जब उसी काम को 100 करोड़ मे करवाया जा रहा है तो स्वभाविक है कि यह आठ करोड़ की कमाई कुछ लोगों में मुफ्त में बंट जायेगी। चर्चा है कि जब तकनीकी विभाग की टीम एन पी सी सी के काम देखने दिल्ली और आसपास गयी थी तब इन्ही दलालों ने इस टीम की अच्छी खासी आवभगत की थी। चर्चा है कि एक दलाल तो भाजपा के किसान मोर्चा का बड़ा नेता है और उसके संबंध कांग्रेस में भी ऊंचे स्तर तक हैं। इसी का सहयोगी एक करोड़पति ऐसे प्रबन्धों के लिये निवेश की जिम्मेदारी लेता है।

ऐसे में अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या प्रदेश सरकार इस आठ करोड़ के घपले की जांच करेगी और इस नुकसान को बचायेगी या फिर राजनीतिक दवाब में यह सब दब जायेगा। 2017 में एन पी सी सी को दिया यह काम इस वर्ष जून में पूरा हो जाना चाहिये था जो कि नही हुआ है। यही नहीं जब इस पर सवाल उठने शुरू हुए थे तब निर्माणकर्ता कंपनी ने स्थायी लेबर को भी काम से निकाल दिया था और उसके बाद एक भी हिमाचली को काम पर नही रखा है। विभाग यह सब जानते हुए भी चुप है और इसी कारण से सवालों की गंभीरता भी बढ़ती जा रही है।

सरकारी योजनाओ को लागू करने में आईसीएआई की अहम भूमिका:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि भारत ने पिछले तीन-चार वर्षो में कई बदलाव देखे हैं और पूरी दुनिया ने इसे बहुत सकारात्मक रूप से लिया है। उन्होंने कहा कि ये परिवर्तन देश और उसके नागरिकों के हित में भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें लागू करने की आवश्यकता है, जोकि चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के संस्थानों द्वारा किया जा रहा है।

राज्यपाल ने यह बात सोलन जिले के चायल में आईसीएआई की परिषद की बैठक के अवसर पर कही।

राज्यपाल ने कहा कि आईसीएआई चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, 1949 के तहत एक संवैधानिक संस्था है, जिसे भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट के व्यवसाय को चलाने के लिए गठित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था की जनहित में कार्य करने वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लेखा संस्था है। उन्होंने कहा कि अस्तित्व में आने के 70 वर्षो से ज्यादा समय के बाद आईसीएआई ने न केवल देश में बल्कि विश्व स्तर पर भी उच्चतम मानकों, सैद्धांतिक क्षेत्र तथा शिक्षा मानकों को बनाए रखने में अग्रणी लेखा संस्था के रूप में अपनी पहचान बनाई है।

राज्यपाल ने कहा कि पूरे देश में जीएसटी की सफलता आईसीएआई के सक्रिय योगदान और सहयोग के बिना संभव नहीं थी। उन्होंने कहा कि आईसीएआई ने देश में 3000 से अधिक सम्मेलन आयोजित कर जीएसटी के प्रति लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि बजट से प्राप्त पूर्व आप से मिलने वाले सुझाव देश की अर्थव्यवस्था का खाका तैयार करने में मददगार साबित होंगे। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान में संस्थागत श्रेणियों में केवल मात्र आईसीएआई सहयोगी बना है।

उन्होंने कहा कि आईसीएआई की सफलता व्यसायिक अंग के रूप में हमारे देश के लिए गर्व की बात है। राज्यपाल ने कहा कि मुझे विश्वास है कि राष्ट्र निर्माण के दायित्व में चार्टर्ड एकाउंटेंट अपनी भूमिका को भलीभांति समझते हैं।

उन्होंने कि आपके प्रतिष्ठित व्यवसाय में अनुशासन, परिश्रम और समर्पण है, जिसके कारण इसकी विशेष पहचान बनी है। उन्होंने कहा कि आप भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय लेन-देन को करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि प्रगतिशील मानसिकता दूसरे व्यवसायों के लिए एक मॉडल प्रदान करती है।

आईसीएआई के अध्यक्ष प्रफिता प्रेमसुख छांज्ड ने राज्यपाल का स्वागत कर सम्मानित किया और संस्था की गतिविधियों से अवगत करवाया।

शिक्षा मंत्री ने केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई नई शिक्षा नीति की सराहना की

शिमला/शैल। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने नई दिल्ली में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में भाग लेते हुए राज्य में 10वीं व 12वीं कक्षाओं से संबंधित सेमेस्टर प्रणाली पर प्रदेश का पक्ष रखते हुए कहा कि यह प्रदेश के लिए व्यावहारिक नहीं है। उन्होंने कहा कि उच्च संस्थानों का विलय अथवा एकीकरण करना भी इस दिशा में व्यावहारिक समाधान नहीं है, क्योंकि इससे प्रदेश में शिक्षा की पहुंच प्रभावित होगी।

शिक्षा मंत्री नई शिक्षा नीति के सुत्रीकरण के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के बारे में बोल रहे थे। उन्होंने भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए वर्तमान आवश्यकताओं के आधार पर नई शिक्षा नीति का निर्माण करने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा नीति तैयार करने की तत्काल आवश्यकता थी क्योंकि कई वर्षों से शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नीति गुणात्मक और कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देकर एक जीवंत, निष्पक्ष और ज्ञानी समाज की स्थापना के उद्देश्य से एक केंद्रित राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली बनाने में मदद करेगी।

शिक्षा मंत्री ने प्रस्तावित नीति के प्रत्येक पहलु पर अपने विचार व्यक्त किए और इसके सभी पहलुओं की सराहना की, जो गुणात्मक सुधार और जवाबदेही लाने में योगदान देंगे। उन्होंने राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, राष्ट्रीय समिति के लिए राष्ट्रीय एकीकृत व्यावसायिक शिक्षा व पाँच वर्षो के भीतर उदार कला संस्थानों की स्थापना की भी सराहना की। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद पर 6 प्रतिशत खर्च करने के सुझाव के अतिरिक्त तीन स्तरीय भाषा और एक विदेशी भाषा फार्मूले को लागू करने की भी सराहना की।

उन्होंने राज्य में शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी बताया।

बैठक में प्रमुख सचिव शिक्षा के. के. पंत भी उपस्थित थे।

बंजार विधानसभा क्षेत्र के विधायक का इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम में चयन

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कुल्लू जिले के बंजार विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेन्द्र शौरी का इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम में चयन होने के लिए उन्हें बधाई दी है।

मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि इस कार्यक्रम से सुरेन्द्र शौरी वहां विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति एवं अन्य सकारात्मक गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।

सुरेन्द्र शौरी ने मुख्यमंत्री से भेंट कर उन्हें जानकारी दी कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विश्व भर के युवा नेता अमेरिका जाएंगे और अपने अमेरिका समकक्षों के साथ संवाद करेंगे।

उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम के अन्तर्गत वे 27 सितम्बर को अमेरिका जाएंगे और 21 दिन तक अमेरिका के विभिन्न शहरों में रहकर वे वहां की राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक नीतियों का आदान-प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत से केवल 6 युवा राजनेताओं का इसमें चयन किया गया गया है।

हिमुडा 166 व्यवसायिक ईकाइयों की करेगा नीलामी

शिमला/शैल। शहरी विकास, आवास, नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री तथा हिमुडा की अध्यक्षा सरवीन चौधरी की अध्यक्षता में हिमुडा के निदेशक मण्डल की 48वीं बैठक का आयोजन शिमला में किया गया। उन्होंने कहा कि हिमुडा आगामी नवरात्रों के दौरान परवाणु तथा बद्दी इत्यादि में 60 करोड़ रुपये की 166 व्यावसायिक इकाइयों की नीलामी करेगा।

सरवीन चौधरी ने ऊना तथा मंडी जिलों में हिमुडा के फ्लैट तथा प्लॉट के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य में आधुनिक तथा योजनाबद्ध तरीके से शहरी बस्तियों के विकास के लिए कदम उठाने के साथ-साथ नए निर्माण कार्यो में गुणवत्ता तथा कॉलोनियों के रख-रखाव पर विशेष बल दिया।

उन्होंने कहा कि बोर्ड ने सिरमौर, ऊना, सोलन तथा देहरा में निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से आवासीय परियोजनाओं को विकसित करने की मंजूरी दी गई है। बैठक में फ्लैट व प्लॉट जिनकी बिक्री अभी तक नहीं हो पाई हैं, को प्रतिस्पर्धात्मक रियायत दरों पर बेचने के लिए नीति बनाने का भी निर्णय लिया गया। यह सम्पत्तियां सोलन, बद्दी, मोगीनंद, त्रिलोकपुर तथा परमाणु में स्थित हैं।

बोर्ड ने हिमुडा की कॉलोनियों के बेहतर रख-रखाव की नीति को भी मंजूरी दी। बोर्ड ने धर्मशाला, शिमला के जाठिया देवी, सिरमौर, ऊना, सोलन तथा मंडी में बनाई जाने वाली कॉलोनियों के निर्माण पर बल दिया। बैठक में हिमुडा के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते को 144 प्रतिशत से बढ़ाकर 148 प्रतिशत करने की स्वीकृति भी प्रदान की गई।

इस अवसर पर हिमुडा के उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा, मुख्य सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी सहित बोर्ड के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे।

डॉ नीलम महेंद्र नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित

शिमला/शैल। प्रसिद्ध लेखिका एवं वरिष्ठ स्तंभकार डॉ नीलम महेंद्र को बृजभूमि फाउंडेशन, मथुरा, संरक्षक स्थानीय सांसद, हेमा मालिनी, द्वारा लेखन के क्षेत्र में उनके विशेष साहित्य कला सामाजिक आदि क्षेत्रों में महिलाओं को उनके विशेष योगदान के लिए यह सम्मान प्रदान करती है। यह कार्यक्रम जीवाजी विश्वविद्यालय के गालव सभागार में दौरान संस्था के संस्थापक अश्विनी चौधरी मध्यप्रदेश अध्यक्ष दीपाली सिन्हा ग्वालियर प्रभारी प्रिया अरोरा संस्कार मंजिरी की महामंत्री नीलम गुप्ता विशेष रूप से उपस्थित थीं। संस्था द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में ग्वालियर शहर की 51 प्रभावशाली महिलाओं का चयन करके समाज में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

योगदान के लिए विशिष्ट सम्मान से सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि बृजभूमि फाउंडेशन अलग अलग शहरों में नारी शक्ति को सम्मान नामक मुहिम के अंतर्गत आयोजित किया गया जिसमें मुख्य अतिथि मध्यप्रदेश शासन की पूर्व मंत्री माया सिंह एवं विशेष अतिथि महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा प्रमिला वाजपेयी थीं। कार्यक्रम के

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
INVITATION FOR BID (IFB)

The Executive Engineer Bilaspur Division No.2, HP-PWD, Bilaspur on behalf of Governor of H.P invites the item rate bids, in electronic tendering system, from the eligible class of contractors registered with HPPWD for the works as detailed in the table.

Sr..No.	Name of Work	Estimated cost	Starting Date for downloading Bid	Earnest Money	Deadline for submi-ssion of bid
	Construction of link road to village Dadwal Km. 0/0 to 1/300 (SH:- Providing and laying M/T, Road side drain and parapets in Km. 0/0 to 1/150).	Rs. 1481651/-	14.10.2019	Rs.30000/-	23.10.2019

The bidders are advised to note other details of tenders from the department website www.hptenders.gov.in

Adv. No.2077/19-20 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

माननीयों के आयकर का भुगतान राज्य सरकार के कोष से किये जाने की प्रथा को समाप्त किया जाये:विनोद कुमार

शिमला/शैल। माननीयों के आयकर का भुगतान राज्य सरकार के कोष से किये जाने की प्रथा को समाप्त किये जाने की मांग करते हुये हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवायें महासंघ ने मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर से इस विषय पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की है। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा है कि वर्तमान में माननीयों को मिल रही सुख सुविधायों में हुई बढौतरी को लेकर राज्य की प्रबुद्ध जनता के मन में जो नाकारात्मकता और रोष का वातावरण पनपा है उस पर माननीयों के वेतन से आयकर चुकाने के निर्णय से विराम लगेगा और मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर के इस फैसले से हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की लोकप्रियता बढेगी।

महासंघ ने कहा है कि आज से लगभग 50 वर्ष पहले माननीयों का आयकर सरकारी राज्य कोष से भरने के बने अधिनियमों को वर्तमान हालातों में निरस्त करने की सख्त की आवश्यकता है, चूकि दशकों पूर्व यह प्रावधान इसलिए रखा गया था क्योंकि उस समय के जनसेवक बाद में जन प्रतिनिधियों को सरकारी खजाने से मात्र गुजारा भत्ता के समान बहुत कम वेतन दिया जाता था और उस समय के अधिकांश माननीय गरीब पृष्ठ भूमि के होते थे, परन्तु आज 90 प्रतिशत से अधिक जनप्रतिनिधी अमीर की श्रेणी में है जो अब वेतन भोगी वर्ग बन चुका है। इसलिए यह कदापि भी तर्कसंगत नहीं है कि एक तरफ मध्य वर्ग आयकर के मद में हर वर्ष सरकारी खजाने में देश के लिए बड़ी राशि जमा करवाऐं और उसके विपरीत टैक्स सरकारी खजाने से अदा करने की यह प्रथा प्रदेश की जनता पर आर्थिक बोझ बने। महासंघ ने मुख्यमन्त्री से मांग की है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री योगी और पंजाब के मुख्यमन्त्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस प्रावधान को समाप्त करने का फैसला लिया है उसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी यह फैसला शीघ्र लिया जाए।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार- ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

जीवंत समाज के लिए विज्ञान और धर्म को साथ चलना होगा: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि विविधता में एकता हमारे राष्ट्र की पहचान है, जो एक बहुल समाज और संस्कृतियों का भंडार है। वह सोलन में श्रीकृष्ण मंदिर का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।

भागवत ने कहा कि भारतीय सभ्यता, पाँच हजार वर्षो पुरानी है और विविधता में एकता के सह-अस्तित्व की विशिष्ट विशेषता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि धर्म वास्तविकता में एकता का एकीकृत दृश्य प्रदान करता हैं क्योंकि भगवान एक हैं और उनके द्वारा बनाई गई वास्तविकता, एकता और अखंडता का प्रतीक है। धर्म का उद्देश्य मानवता को एकजुट करना है और मानव जाति की सेवा ईश्वर की सेवा है। उन्होंने कहा कि हममें से प्रत्येक को अपने समाज और राष्ट्र के विकास के लिए ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए। क्योंकि यह कर्म ही है जो हमें धर्म की ओर प्रेरित करता है।

उन्होंने कहा कि भागवत गीता हमें बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य का पालन, समर्पण और परिश्रम के साथ करने का उपदेश देती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सोलन में निर्मित श्रीकृष्ण मंदिर न केवल पूजा के लिए, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी एक उपयुक्त स्थान होगा।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने भागवत का स्वागत करते हुए कहा कि भारत विभिन्न संस्कृतियों, धर्मो और भाषाओं का प्रदेश है। यहां विभिन्न जातियों और समुदायों के लोगों ने कई कठिनाइयों के बावजूद एकता और सामंजस्य को बरकरार रखा है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि धर्म समाज के हर वर्ग को एकजुट बनाए रखने वाली एक आलोकिक शक्ति है।

आज के आधुनिक युग में, हमें अपने धर्म और संस्कृति को बनाए रखने के लिए हरं संभव प्रयास करने चाहिए, क्योंकि केवल उन्हीं समाजों ने प्रगति की है, जिन्होंने अपनी परम्पराओं और संस्कृति को उचित सम्मान दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मूल्यों और संस्कृति को त्याग कर कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जीवन्त राष्ट्र के लिए विज्ञान और धर्म को साथ चलना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में भारत विश्व गुरू बनने के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनके नेतृत्व में राष्ट्र ने अपनी पुरानी गरिमा प्राप्त की है और विश्व के शक्तिशाली देशों ने भारत के सामर्थ्य को स्वीकारा है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि शान्तिप्रिय और ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले लोगों के कारण हिमाचल प्रदेश पूरे विश्व में देवभूमि के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि सोलन में श्रीकृष्ण मन्दिर क्षेत्र के लोगों की धार्मिक आस्था का केन्द्र बनकर उभरेगा।

मुख्यमंत्री ने श्रीकृष्ण वृन्दावन ट्रस्ट को प्रदेश में अपनी गतिविधियों के विस्तार के लिए सरकार की ओर से हर सम्भव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।

श्रीकृष्ण वृन्दावन ट्रस्ट के अध्यक्ष राजीव कोहली ने मोहन भागवत, मुख्यमंत्री एवं इस अवसर पर उपस्थित अन्य गणमान्यों का स्वागत किया। उन्होंने ट्रस्ट की विभिन्न गतिविधियों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी।

राज्य भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल, पूर्व सांसद वीरेन्द्र कश्यप भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

उद्योग मंत्री ने जीएसटी परिषद की 37वीं बैठक में भाग लिया

शिमला/शैल। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने गोआ में चल रही माल और सेवा कर परिषद की 37वीं बैठक में भाग लिया। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक की अध्यक्षता की।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक पर्वतीय राज्य है और यहां की भौगोलिक स्थिति अन्य राज्यों से भिन्न हैं। हमारे प्रदेश में सीमित संसाधन है। प्रदेश में ज्यादा बड़े व्यापारिक केन्द्र नहीं है। जीएसटी के एक मूल सिद्धांत के अनुसार 'बिजनेस टू कंज्यूमर' की व्यवस्था के तहत कर प्राप्ति का अधिकार बनता है, जिससे हमारा प्रदेश वंचित है।

उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश में बड़े व्यापार उद्योग न होने के कारण प्रदेश के लोग प्रदेश में उपयोग होने वाली बड़ी मशीनरी, कंमर्शियल व घरेलू वाहन, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुडज इत्यादि की खरीद प्रदेश के साथ लगते बड़े महानगरों दिल्ली, चण्डीगढ़, पंजाब से करते हैं, जिससे प्रदेश के हिस्से में आने वाले जीएसटी का लाभ प्रदेश को नहीं मिल पाता जो कि जीएसटी की मूल भावना के विरूद्ध है।

उन्होंने प्रदेश के हितों की रक्षा की बात को दोहराते हुए कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न मामले केन्द्र सरकार से उठाए हैं। उद्योग मंत्री ने बैठक में कहा कि जीएसटी प्रणाली के तहत सभी प्रकार का कर सभी खरीद पर होना चाहिए, किंतु हमें ये अधिकार नहीं मिल पा रहा है।

उद्योग मंत्री ने बैठक की अध्यक्षता कर रही देश की केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं उपस्थित केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से अनुरोध किया कि प्रदेश में जीएसटी के मूल सिद्धांत एजैंडा आईटम नम्बर 7 (III) के अनुसार पूर्ण अधिकार का अनुमोदन करने का अनुरोध किया।

उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कुल्लू शॉल और कांगड़ा चाय भी भेंट की।

इस बैठक में प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) संजय कुंडू व आबकारी कराधान आयुक्त डॉ. अजय शर्मा उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कैदियों को हरसंभव सहयोग प्रदान करने पर बल दिया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने जेल और सुधार सेवाएं विभाग द्वारा आयोजित 'जेलों में कैदियों को सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने' पर आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए, समाज के सभी सदस्यों से सहयोग देने और जेल के कैदियों की मदद करने का आग्रह किया ताकि कारावास की अवधि पूरी होने के बाद कैदी सामान्य जीवन जी सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कैदी भी हमारे समाज का हिस्सा हैं और हम सभी को उनके प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैदी और उनके परिवार के लिए जेल में रहने का सामाजिक कलंक स्पष्टीकरण से परे हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य की विभिन्न जेलों में लगभग 2500 कैदी हैं। उन्होंने कहा कि कैदी अपनी गैरकानूनी गतिविधियों के लिए कानून के अनुसार सजा काट रहे हैं, लेकिन साथ ही यह हमारा कर्तव्य बन जाता है कि उनके परिवार के सदस्यों को कैदी के दुष्कृत्यों के कारण परेशानी न झेलनी पड़े। उन्होंने कहा कि जेल और सुधार केंद्रों में कई कैदी काम कर रहे हैं ताकि वे समाज के लिए सकारात्मक योगदान दे सकें।

मुख्यमंत्री ने जेल और सुधार सेवा विभाग की विभिन्न पहलों जैसे ई-पेशी, ई-जेल सॉफ्टवेयर्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा की भी सराहना की। उन्होंने जेल प्रशासन से जेलों में बेहतर सुधार सुनिश्चित करने का आग्रह किया ताकि कैदी सम्मानजनक जीवन जीने के अलावा समाज के लिए भी अपना योगदान दे सकें। उन्होंने कहा कि कैदियों के पुनर्वास के लिए और अधिक प्रयास किए जाने चाहिए ताकि वे कारावास की अवधि पूरी होने के बाद सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। उन्होंने कहा कि गैर-सरकारी संगठनों, व्यक्तियों और औद्योगिक घरानों को भी कैदियों के पुनर्वास में सहयोग करना चाहिए।

जय राम ठाकुर ने एक कॉफी टेबल पुस्तक 'हर हाथ को काम-ए गेम चेंजर' का भी विमोचन किया। उन्होंने कैदियों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों को 'प्रशंसा पुरस्कार' भी प्रदान किए। उन्होंने आशा जताई कि यह दो दिवसीय सम्मेलन जेलों में कैदियों को सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ना सुनिश्चित करेगा।

मुख्य सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी ने कहा कि यह पहला अवसर है कि कैदियों के संबंध में एक सम्मेलन इतनी सकारात्मक उत्साह के साथ आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह जानकर खुशी हुई कि जेल के कैदियों के कल्याण के लिए काफी संख्या में उद्यमी काम कर रहे हैं।

वरिष्ठ अतिरिक्त महानिदेशक जेल शेर चंद शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

कारागार और सुधार सेवाओं के महानिदेशक सोमेश गोयल ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री का स्वागत और सम्मान किया। उन्होंने कहा कि जेल और सुधार सेवाओं के विभागों द्वारा जेल के कैदियों के उचित पुनर्वास को सुनिश्चित करना है ताकि वे कारावास का समय पूरा करने के बाद सामान्य जीवन जी सकें। उन्होंने कैदियों के कल्याण के लिए विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि जेल के कैदियों द्वारा विभिन्न प्रकार का सामान तैयार किया जा रहा हैं, जिन्हें विभिन्न केंद्रों में बिक्री के लिए रखा गया है।

इस अवसर पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एसजेवीएनएल नंद लाल शर्मा, पुलिस महानिदेशक, पूर्व पुलिस महानिदेशक तथा 21 राज्यों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

एचपीसीएमआरएफ के ऑनलाइन भुगतान विधि में सुधार करने के निर्देश:मुख्य सचिव

शिमला/शैल। मुख्य सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी ने ऑनलाइन भुगतान विधि की संभावनाओं का पता लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री राहत कोष (एचपीसीएमआरएफ) की बैठक की अध्यक्षता की।

मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को ऑनलाइन भुगतान विधि को सरल बनाते हुए एचपीसीएमआरएफ के ऑनलाइन भुगतान विधि में सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने वेबसाइट को फिर से डिजाइन करने और उपयोगकर्ताओं और दानियों के लिए आकर्षक बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए ऑनलाइन दान करने के लिए किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में एक अलग बैंक खाता खोला जाना चाहिए।

उन्होंने ऑनलाईन दान प्रक्रिया को बढ़ावा देने पर बल दिया ताकि राज्य के किसी भी भाग से लोग एचपीसीएमआरएफ में दान कर सकें। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एचपीसीएमआरएफ में ऑनलाइन भुगतान की अपील की जानी चाहिए ताकि न केवल राज्य के लोग अपना योगदान दे सकें बल्कि अन्य प्रदेशों में रहने वाले लोग और प्रवासी हिमाचली भी अन्य लोगों के साथ मिलकर राज्य के लिए योगदान कर सकें। उन्होंने कहा कि एचपीसीएमआरएफ में ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की वेबसाइटों पर भी इसे अपलोड किया जाना चाहिए।

हिमाचल सरकार ने की हिमाचल प्रदेश पर्यटन नीति-2019 अधिसूचित

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन नीति-2019 को अधिसूचित कर दिया है, जिसका उद्देश्य प्रदेश में पर्यटन के समग्र विकास करना है। इस नई पर्यटन नीति में इको पर्यटन, जैविक कृषि पर्यटन, स्नो पर्यटन, झील पर्यटन, साहसिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक एवं धरोहर पर्यटन, स्वास्थ्य एवं वेलनेस पर्यटन तथा फिल्म पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

उन्होंने कहा कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य पर्यटन गतिविधियों में विविधता लाकर पर्यटन के सतत विकास को सुनिश्चित बनाना, पर्यटन उद्योग के लिए मानव संसाधन श्रमशक्ति विकसित करना व सक्षम बनाना तथा सभी वर्ग के पर्यटकों को सुरिक्षत व बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है ताकि प्रदेश में सतत पर्यटन विकास के लिए निवेश आकर्षित करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हो सके।

यह नीति पर्यटन विभाग के वैब पोर्टल में अपलोड़ की गई है और इच्छुक व्यक्ति इस बारे अधिक जानकारी विभाग के वैब पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं।

जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं..... चाणक्य

सम्पादकीय

उत्पादक की क्षमता से पहले उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ानी होगी

इस समय देश एक ऐसे दौर से गुज़र रहा है जहां किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के लिये ज्यादा देर तक तटस्थता की भूमिका में रह पाना संभव नही होगा। जिस तरह से आर्थिक मंदी और उससे निपटने के उपाय सामने आ रहे हैं उनसे हर आदमी सीधे तौर से प्रभावित हो रहा है। भले ही वह उस प्रभाव के बारे में सजग है या नही। क्योंकि इस आर्थिक मंदी से उत्पादन का हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है और उसका सीधा प्रभाव रोज़गार पर पड़ा है। करोड़ो लोग परोक्ष/अपरोक्ष रूप से बेरोज़गार हुए हैं। सरकार ने इस कड़वे सच को स्वीकारते हुए उद्योगों को 1.45 लाख करोड़ की राहत प्रदान की है। यह राहत जीएसटी और कुछ अन्य टैक्सों की दरें कम करने के रूप में दी गयी है। इस राहत से सरकारी कोष में 1.45 लाख करोड़ के राजस्व की कमी आयेगी। यह कमी कैसे पूरी की जायेगी इसका कोई विकल्प सीधे रूप में सामने नहीं रखा गया है। माना जा रहा है कि इस कमी को विनिवेश के माध्यम से पूरा किया जायेगा जिसका अर्थ होगा कि कुछ और सरकारी संपत्तियों को नीजिक्षेत्र को सौंपा जायेगा। क्योंकि जीएसटी के माध्यम से जितना राजस्व आने की उम्मीद थी उसमें भी करीब दो लाख करोड़ की कमी रहने की उम्मीद है। सरकार 1.45 लाख करोड़ की राहत की घोषणा से पहले ही आरबीआई से 1.76 लाख करोड़ ले चुकी है। अब इस राहत के बाद स्वभाविक है कि राजस्व में कमी आयेगी इसलिये सरकार इस कमी को कहां से कैसे पूरा करेगी और इसका आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह पहला सवाल है।

सरकार की 1.45 लाख करोड़ की राहत के साथ बाज़ार में खुशी की लहर देखने को मिली है। बाज़ार में निवेश में एकदम उछाल आया है। इस राहत से उत्पादन में जो कमी आयी थी वह रूक जायेगी उसमें बढ़ौत्तरी भी आ जायेगी और रोज़गार जाने का जो संकट पैदा हो गया था उसमें भी कुछ रोक लग जायेगी। मोटर गाड़ियां और हाऊसिंग का निर्माण फिर पुरानी चाल पर आ जायेगा यह माना जा रहा है। लेकिन इस सबसे खरीद पर भी असर पड़ेगा इसको लेकर संशय है। बाज़ार में 55 हजार करोड़ की गाड़ियां पहले से मौजूद हैं लेकिन उन्हे खरीदने वाला कोई नहीं था इसलिये आटोमोबाईल क्षेत्र में मंदी आयी थी। इसी तरह बाज़ार में 18 लाख घर बनकर तैयार हैं परन्तु लेने वाला कोई नही है। मंदी की तो परिभाषा ही यह है कि आपके पास बेचने के लिये तो सामान तैयार है परन्तु लेने वाला कोई नही हैं। इसका पता इसी से चल जाता है कि आरबीआई पांच बार ऋण की ब्याज दरों पर कटौती की घोषणाएं कर चुका है। यह घोषणाएं यह प्रमाणित करती है कि निवेशक और उपभोक्ता दोनो ही ऋण लेने से कतरा रहे हैं। क्योंकि दोनों के पास ऋण वापिस करने के पर्याप्त साधन नही हैं और बैंक भी एनपीए का और बोझ उठाने की स्थिति में नही हैं।

इस परिदृश्य में यह सवाल उठता है कि आखिर यह हालात पैदा क्यों और कैसे हो गये? क्या सरकार की प्राथमिकताएं अव्यवहारिक हो गयी हैं। सरकार जब छोटे किसानों और दुकानदारों को पैन्शन तथा गरीबों को ईलाज के लिये आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं लाने की बात करती है तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह मानती है कि उसकी योजनाओं से समाज के इस वर्ग का जीवन यापन कठिन हो गया है। यह वर्ग सरकार की योजनाओं के गुण दोषों का आकलन करने न लग जाये इसलिये उसे इस तरह की राहतें देकर कुछ समय के लिये शांत रखने का उपाय किया गया है। लेकिन यहां यह सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कब तक किया जा सकता है। आज एक वर्ग को 1.45 लाख करोड़ की राहत देकर मंदी से बाहर निकालने का उपाय किया गया है लेकिन जिस ढंग से सरकारी निकायों का विनिवेश किया जा रहा है और सभी सरकारी उपक्रमों के 75% सरप्लस संसाधनों को समेकित निधि में शामिल करने के लिये आदेश किये जा चुके हैं क्या उससे आने वाले समय में यह सरकारी उपक्रम स्वत: ही बन्द होने की कगार पर नही आ जायेंगें तब बेरोज़गारों का एक और बड़ा वर्ग नहीं पैदा हो जायेगा? क्योंकि आज तो कॉरपोरेट टैक्स घटाकर उद्योगपति को राहत दे दी गया है लेकिन उस राहत से उपभोक्ता की क्रय शक्ति नहीं बढ़ रही है और जिस तरह की योजनाएं चल रही हैं उससे यह क्रय शक्ति भविष्य में भी बढ़ने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है।

आम आदमी के पास आय के सामान्य संसाधन क्या रह गये हैं? आज भी देश की 70% आबादी कृषि पर निर्भर है और यह प्रमाणित सत्य है कि जब तक कृषि पर आत्मनिर्भरता नहीं बनेगी तब तक औद्यौगिक निर्भरता का कोई बड़ा अर्थ नहीं रह जाता है। कृषि पर आधारित किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होता जा रहा है और उद्योगपत्ति हज़ारों करोड़ का एनपीए डकार कर भी सुरक्षित और सम्मानित घूम रहा है। नोटबंदी के पांच दिन बाद ही 63 अरबपतियों का 6000 करोड़ का कर्ज माफ कर दिया गया था। उसी दौरान की एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अरबपति बैंकों का आठ लाख करोड़ डकार गये थे और मोदी सरकार ने इसमें से 1,14,000 करोड़ तो माफ कर दिये थे। उस समय केजरीवाल ने वाकायदा एक पोस्टर के माध्यम से यह आरोप लगाये थे लेकिन आजतक इन आरोपों का कोई जवाब नही आया है। ऐसे ही कई और आरोप हैं जिनके जवाब नही आये हैं जिनमें कपिल सिब्बल का जाली नोटों को लेकर लगाया गया आरोप बहुत ही गंभीर है। आरोपों का जब सार्वजनिक रूप से जवाब नही आता है और न ही आरोप लगाने वाले के खिलाफ कोई कारवाई की जाती है तब आम आदमी के पास आरोपों को सच मानने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जाता है। आज सरकार इसी कगार पर पहुंचती जा रही है। इसलिये आर्थिक मंदी को रोकने के लिये उत्पादक से पहले उपभोक्ता की क्रय शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है। आर्थिकी एक ऐसा पक्ष है जिस पर हर आदमी अपनी-अपनी तरह चिन्ता और चिन्तन करता है क्योंकि भूखे आदमी के हर सवाल का जवाब केवल रोटी ही होता है।

दक्षिण एशिया की शांति में खलल पैदा करने लगा था कश्मीरी अलगाववाद

–गौतम चौधरी–

विगत दिनों भारतीय संसद ने एक प्रस्ताव पारित कर जम्मू-कश्मीर को प्राप्त विशेष राज्य का दर्जा वापस ले लिया। राज्य को मिले संवैधानिक अधिकार, धारा 370 और 35ए को समाप्त कर दिया और राज्य को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया। इस मामले को लेकर कुछ लोग पूरे देशभर में आन्दोलन चला रहे हैं। आन्दोलन चलाने वाले लोगों का मानना है कि यह जम्मू-कश्मीर के साथ अन्याय है। भारतीय संविधान की हत्या है। इसके पक्ष में उनके पास कई तर्क भी हैं।

भारतीय संविधान ने अपनी जायज मांग को लेकर मुजाहिरा, जलूस करने का अधिकार अपने प्रत्येक नागरिक को दिया है लेकिन देश के कुछ लोग जिन लोगों के लिए अपनी शक्ति लगा रहे हैं क्या उनकी इसमें सहमति है? अगर सहमति होती तो जम्मू-कश्मीर आज उबल रहा होता। जम्मू-कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यह बात जरूर है कि वहां सरकारी फौज तैनात हैं। फौज और पुलिस ने कडाई भी कर रखी है। हां, यह भी सत्य है कि कश्मीर की सूचनाएं बहुत कम आ पा रही है लेकिन जो बातें कश्मीर से छन-छन कर आ रही है वह यह बता रही है कि ज्यादातर कश्मीरी अमन-चैन से बसर कर रहे हैं। करें भी क्यों नहीं, धारा 370 और 35ए का लाभ संपूर्ण कश्मीरियों को तो पहले भी नहीं मिल रहा था। श्रीनगर घाटी में बैठे कुछ मुट्ठीभर अलगाववादी नेता या फिर सत्ता में भागीदारी कर रहे लोग इस लाभ का पूरा- परा फायदा उठा रहे थे। दूसरी बात यह है कि कश्मीर को जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त था उसका अलगाववादियों ने कभी सम्मान नहीं किया। कश्मीर के ये अलगाववादी नेताओं ने अपने नागरिक कश्मीरी पंडितों को अपने यहां से भगा दिया। कश्मीरी पंडित अपनी जमीन से कटे पूरे देश में आज भी शरणार्थियों की तरह भटक रहे हैं। कश्मीर दिन व दिन अंतरराष्ट्रीय इस्लामिक आतंकवाद का केन्द्र बनता जा रहा था और ये तमाम गतिविधियां कश्मीर को भारतीय संविधान के द्वारा उसे दिए गए विशेष अधिकार की आड़ में चलयी जा रही थी। यह केवल भारत के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरनाक था। इससे पाकिस्तान और चीन भी परेशान है। इस प्रकार के आतंकवाद से चीन और पाकिस्तान दोनों परेशान है और अपने-अपने देश में अभियान भी चला रहा है।

भारत के अधिकार वाला कश्मीर, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, अफगानिस्तान का उत्तरी हिस्सा और चीन के शिनजियांग प्रांत में धीरे-धीरे अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक आतंकवाद, आईएसआईएस का प्रभाव बढ़ने लगा है। चूंकि कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था इसलिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी इस क्षेत्र को अपना आधार बनाने लगे थे। भारतीय गुप्तचर संस्थाओं को इस बात की जानकारी मिल रही थी कि यह क्षेत्र आने वाले समय में दूसरा सीरिया बन सकता है। जानकार सूत्रों की मानें तो जिसके साथ भारत के समझौते हैं उन अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्थाओं ने भी भारत को इस बात से आगाह किया था और इस कारण भी भारत को बाध्य होकर कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करना पड़ा।

भारत सरकार ने यह कठोर निर्णय शंघाई सहयोग संगठन की महत्वपूर्ण बैठक के बाद लिया है। इस बात गौर करने योग्य है। विगत कुछ सालों में रूस और चीन के संबंध मधुर हुए हैं। दोनों देश आर्थिक और सामरिक हितों को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति बनाने में लगे हैं। अमेरिकी दादागीरी के खिलाफ रूस और चीन ने नए प्रकार के विश्व की परिकल्पना की है और उस दिशा में दोनों देशों ने प्रयास भी प्रारंभ कर दिया है। इसी योजना के तहत शंघाई सहयोग संगठन में भारत और पाकिस्तान को स्थान भी दिया गया है। चीन और रूस, अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों को केवल सामरिक क्षेत्र में ही चुनौती देने की नहीं सोची है अपितु आर्थिक मोर्चो पर भी अपनी ताकत का एहसास करने की योजना बनाई है। इसके लिए इन दोनों देशों ने मिलकर ब्रिक्स की स्थापना की है। यह विशुद्ध रूप से आर्थिक मोर्चा है और इस संघ में रूस, चीन, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। हालांकि चीन के द्वारा खड़ा किया गया शंघाई सहयोग संगठन भी प्रथमदृष्टया आर्थिक मंच ही है लेकिन चीन की योजना है कि इसे अमेरिकी नेतृत्व वाले नाटो की तरह खड़ा किया जाए, जिससे अमेरिकी दादागीरी को कम किया जा सके और दुनिया को एकधरुवीय बनाके बचाया जाए। भारत और पाकिस्तान दोनों आर्थिक मंच के हिस्सेदार बनकर उभरे हैं। कश्मीर की समस्या इस अभियान में भी खतरा पैदा कर सकता था। अमेरिका ने जिस प्रकार कुर्दो को उक्साकर तुर्की, इराक, सीरिया और ईरान के राष्ट्रवाद को चुनौती देने की योजना बनाई थी वह कश्मीर में भी दुहराया जा सकता था और तब दक्षिण एशिया की शांति के लिए खतरा पैदा होता। कश्मीर में इसकी शुरूआत हो चुक थी। इस बात का एहसास भारतीय गुप्तचर संस्था को हो गया था। कश्मीरी अलगाववादी नेता इसी दिशा में काम करने लगे थे। आने वाले समय में पूरा दक्षिण ऐशिया न तबाह हो इसलिए कश्मीर का यह विशेष दर्जा हटना जरूरी था भारत सरकार ने सही समय पर सही निर्णय लिया। हालांकि अब भारत सरकार को वहां बड़े पैमाने पर कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर कश्मीर के लोगों का दिल जीतना चाहिये साथ ही विस्थापित कश्मीरी पंडितों को अविलंभ वहां बसाने की योजना बनानी चाहिए।

केवल जन आन्दोलन से प्लास्टिक मुक्ति अधूरी कोशिश होगी

–डॉ नीलम महेंद्र–

वैसे तो विज्ञान के सहारे मनुष्य ने पाषाण युग से लेकर आज तक मानव जीवन सरल और सुगम करने के लिए एक बहुत लंबा सफर तय किया है। इस दौरान उसने एक से एक वो उपलब्धियाँ हासिल कीं जो अस्तित्व में आने से पहले केवल कल्पना लगती थीं फिर चाहे वो बिजली से चलने वाला बल्ब हो या टीवी फोन रेल हवाईजहाज कंप्यूटर इंटरनेट कुछ भी हो ये सभी अविष्कार वर्तमान सभ्यता को एक नई ऊंचाई, एक नया आकाश देकर मानव के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव का कारण बने। 1907 में जब पहली बार प्रयोगशाला में कृत्रिम ''प्लास्टिक'' की खोज हुई तो इसके आविष्कारक बकलैंड ने कहा था, ''अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरा ये अविष्कार एक नए भविष्य की रचना करेगा।'' और ऐसा हुआ भी, उस वक्त प्रसिद्ध पत्रिका टाइम ने अपने मुख्य पृष्ठ पर लियो बकलैंड की तसवीर छापी थी और उनकी फोटो के साथ लिखा था, ''ये ना जलेगा और ना पिघलेगा।'' और जब 80 के दशक में धीरे धीरे पॉलीथिन की थैलियों ने कपड़े के थैलों, जूट के बैग, कागज के लिफाफों की जगह लेनी शुरू की हर आदमी मंत्र मुग्ध था। हर रंग में, हर नाप में, इससे बनी थैलियों में चाहे जितने वजन का सामान डाल लो फटने का टेंशन नहीं इनसे बने कप कटोरियों में जितनी गरम चाय कॉफी या सब्जी डाल लो हाथ जलने या फैलने का डर नहीं। सामान ढोना है, खराब होने या भीगने से बचाना है, पन्नी है ना! बिजली के तार को छूना है लेकिन बिजली के झटके से बचना है प्लास्टिक की इंसुलेशन है ना! खुद वजन में बेहद हल्की परंतु वजन सहने की बेजोड़ क्षमता वाली एक ऐसी चीज हमारे हाथ लग गई थी जो लगभग हमारी हर मुश्किल का समाधान थी, हमारे हर सवाल का जवाब थी, यही नहीं, वो सस्ती सुंदर और टिकाऊ भी थी, यानी कुल मिलाकर लाजवाब थी। लेकिन किसे पता था कि आधुनिक विज्ञान के एक वरदान के रूप में हमारे जीवन का हिस्सा बन जाने वाला यह प्लास्टिक एक दिन मानव जीवन ही नहीं सम्पूर्ण पर्यावरण के लिए भी बहुत बड़ा अभिशाप बन जाएगा। ''यह न जलेगा न पिघलेगा'' जो इसका सबसे बड़ा गुण था, वही इसका सबसे बड़ा अवगुण बन जाएगा। जी हाँ आज जिन प्लास्टिक की थैलियों में हम बाजार से सामान लाकर आधे घंटे के इस्तेमाल के बाद ही फेंक देते हैं उन्हें नष्ट होने में हजारों साल लग जाते हैं। इतना ही नहीं इस दौरान वो जहाँ भी रहें मिट्टी में या पानी में अपने विषैले तत्व आस पास के वातावरण में छोड़ती रहती हैं। नवीन शोधों में पर्यावरण और मानव जीवन को प्लास्टिक से होने वाले हानिकारक प्रभावों के सामने आने के बाद आज विश्व का लगभग हर देश इसके इस्तेमाल को सीमित करने की दिशा में कदम उठाने लगा है। भारत सरकार ने भी देशवासियों से सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एक बार प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टिक का उपयोग बन्द करने का आहवान किया। इससे पहले 2018 विश्व पर्यावरण दिवस की थीम ''बीट प्लास्टिक पॉल्युशन'' की मेजबानी करते हुए भी भारत ने विश्व समुदाय से सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त होने की अपील की थी। लेकिन जिस प्रकार से आज प्लास्टिक हमारी दैनिक दिनचर्या का ही हिस्सा बन गया है सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पूर्णत: बन्द हो जाना तब तक संभव नहीं है जब तक इसमें जनभागीदारी ना हो। क्योंकि आज मानव जीवन में प्लास्टिक की घुसपैठ कितनी ज्यादा है इस विषय पर ''प्लास्टिक: अटॉक्सिक लव स्टोरी'' अर्थात प्लास्टिक, एक जहरीली प्रेम कथा, के द्वारा लेखिका सुजैन फीनकेल ने बताने की कोशिश की है। इस किताब में उन्होंने अपने एक दिन की दिनचर्या के बारे में लिखा है कि वे 24 घंटे में ऐसी कितनी चीजों के संपर्क में आई जो प्लास्टिक की बनी हुई थीं। इनमें प्लास्टिक के लाइट स्विच, टॉयलेट सीट, टूथब्रश, टूथपेस्ट टयूब जैसी 196 चीजे थीं जबकि गैर प्लास्टिक चीजों की संख्या 102 थी। यानी स्थिति समझी जा सकती है। लेकिन जब हम जनभागीदारी की बात करते हैं तो जागरूकता एक अहम विषय बन जाता है। कानून द्वारा प्रतिबंधित करना या उपयोग करने पर जुर्माना लगाना इसका हल ना होकर लोगों का स्वेच्छा से इसका उपयोग नहीं करना होता है और यह तभी सम्भव होगा जब वो इसके प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभावों को समझेंगे और जानेंगे। अगर आप समझ रहे हैं कि यह एक असंभव लक्ष्य है तो आप गलत हैं। यह लक्ष्य मुश्किल हो सकता है लेकिन असम्भव नहीं इसे साबित किया है हमारे ही देश के एक राज्य ने। जी हां सिक्किम में लोगों को प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर जुर्माना ना लगाकर बल्कि उससे होने वाली बीमारियों के बारे में अवगत कराया गया और धीरे धीरे जब लोगों ने स्वेच्छा से इसका प्रयोग कम कर लिया तो राज्य में कानून बनाकर इसे प्रतिबंधित किया गया। और सिक्किम भारत का पहला राज्य बना जिसने प्लास्टिक से बनी डिस्पोजल बैग और सिंगल यूज प्लास्टिक की बोतलों पर बैन लगाया।

दरअसल प्लास्टिक के दो पक्ष हैं। एक वह जो हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से उपयोगी है तो उसका दूसरा पक्ष स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रदूषण फैलने वाला एक ऐसा हानिकारक तत्व जिसे रिसायकल करके दोबारा उपयोग में तो लाया जा सकता है लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता। अगर इसे नष्ट करने के लिए जलाया जाता है तो अत्यंत हानिकारक विषैले रसायनों को उत्सर्जित करता है, अगर मिट्टी में गाढ़ा जाता है तो हजारों हजारों साल यों ही दबा रहेगा अधिक से अधिक ताप से छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा लेकिन पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होगा। अगर समुद्र में डाला जाए तो वहाँ भी केवल समय के साथ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर पानी को प्रदूषित करता है। इसलिए विश्व भर में ऐसे प्लास्टिक के प्रयोग को कम करने की कोशिश की जा रही है जो दोबारा इस्तेमाल में नहीं आ सकता। वर्तमान में केवल उसी प्लास्टिक के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसे रिसायकल करके उपयोग में लाया जा सकता है। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि इस तरह से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो हम गलत हैं क्योंकि इसे रिसायकल करने के लिए इसे पहले पिघलाना पड़ता है और उसके बाद भी उससे वो ही चीज दोबारा नहीं बन सकती बल्कि उससे कम गुणवत्ता वाली वस्तु ही बन सकती है और इस पूरी प्रक्रिया में नए प्लास्टिक से एक नई वस्तु बनाने के मुकाबले उसे रिसायकल करने में 80% अधिक उर्जा का उपयोग होता है साथ ही विषैले रसायनों की उत्पत्ति। किंतु बात केवल यहीं खत्म नहीं होती। अनेक रिसर्च में यह बात सामने आई है कि चाहे कोई भी प्लास्टिक हो वो अल्ट्रावॉयलेट किरणों के संपर्क में पिघलने लगता है। अमेरिका की स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने भारत के अलावा चीन अमेरिका ब्राजील इंडोनेशिया केन्या लेबनान मेक्सिको और थाईलैंड में बेची जा रही 11 ब्रांडों की 250 बोतलों का परीक्षण किया। 2018 के इस अध्ययन के अनुसार बोतलबंद पानी के 90% नमूनों में प्लास्टिक के अवशेष पाए गए। सभी ब्रांडों के एक लीटर पानी में औसतन 325 प्लास्टिक के कण मिले। अपने भीतर संग्रहित जल को दूषित करने के अलावा एक बार इस्तेमाल हो जाने के बाद ये स्वयं कितने कचरे में तब्दील हो जाती हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2016 में पूरी दुनिया में 480 अरब प्लास्टिक बोतलें खरीदी गईं। आंकलन है कि दुनिया में हर मिनट 10 लाख प्लास्टिक बोतलें खरीदी जाती हैं जिनमें से 50% कचरा बन जाती हैं। हाल के कुछ सालों में सीरप, टॉनिक जैसी दवाइयाँ भी प्लास्टिक पैकिंग में बेची जाने लगी हैं क्योंकि एक तो यह शीशियों से सस्ती पड़ती हैं दूसरा टूटने का खतरा भी नहीं होता। लेकिन प्लास्टिक में स्टोर किए जाने के कारण इन दवाइयों के प्रतिकूल असर सामने आने लगे हैं। प्लास्टिक से होने वाले खतरों से जुड़ी चेतावनी जारी करते हुए वैज्ञानिकों ने बताया है कि प्लास्टिक की चीजों में रखे गए भोज्य पदार्थों से कैंसर और भ्रूण के विकास में बाधा संवत कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। स्पष्ट है कि वर्तमान में जिस कृत्रिम प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है वो अपने उत्पादन से लेकर इस्तेमाल तक सभी अवस्थाओं में पर्यावरण के लिए खतरनाक है। लेकिन जिस प्रकार से आज हमारी जीवनशैली प्लास्टिक की आदि हो चुकी है इससे छुटकारा पाना ना तो आसान है और ना ही यह इसका कोई व्यवहारिक हल है। इसे व्यवहारिक बनाने के लिए लोगों के सामने प्लास्टिक का एक बेहतर विकल्प प्रस्तुत करना होगा।

दरअसल समझने वाली बात यह है कि कृत्रिम प्लास्टिक बायो डिग्रेडेबल नहीं है इसलिए हानिकारक है लेकिन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक भी बनाया जा सकता है। इसकी अनेक किसमें हैं जैसे बायोपोल, बायोडिग्रेडेबल पॉलिएस्टर एकोलेक्स, एकोजेहआर आदि या फिर बायो प्लास्टिक जो शाकाहारी तेल, मक्का स्टार्च, मटर स्टार्च, जैसे जैव ईधन स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है जो कचरे में सूर्य के प्रकाश,पानी,नमी,बैक्टेरिया, एंजायमों, वायु के घर्षण, और सड़न कीटों की मदद से 47 से 90 दिनों में खत्म होकर मिट्टी में घुल जाए लेकिन यह महंगा पड़ता है इसलिए कंपनियां इसे नहीं बनाती। इसलिए सरकारों को सिंगल यूज प्लास्टिक ही नहीं बल्कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले हर प्रकार के नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का उपयोग ही नहीं निर्माण भी पूर्णत: प्रतिबंधित करके केवल बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के निर्माण और उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। इससे जब कपड़े अथवा जूट के थैलों और प्लास्टिक के थैलों की कीमत में होने वाली असमानता दूर होगी तो प्लास्टिक की कम कीमत के कारण उसके प्रति लोगों का आकर्षण भी कम होगा और उसका इस्तेमाल भी।

विश्व पर्यावरण संरक्षण मूलभूत ढाँचे में बदलाव किए बिना केवल जनांदोलन से हासिल करने की सरकारों की अपेक्षा एक अधूरी कोशिश है। इसे पूर्णत: तभी हासिल किया जा सकता है जब कि प्लास्टिक बनाने वाले उद्योग भी अपने कच्चे उत्पाद में बदलाव लाकर कृत्रिम प्लास्टिक बनाना ही बन्द कर दें और केवल बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का ही निर्माण करें। अगर हमारी सरकारें प्लास्टिक के प्रयोग से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से ईमानदारी से लड़ना चाहती हैं तो उन्हें हर प्रकार का वो प्लास्टिक जो बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए नष्ट नहीं होता है उसके निर्माण पर औद्योगिक प्रतिबंध लगाकर केवल बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के निर्माण को बढ़ावा देना होगा न कि आमजन से उसका उपयोग नहीं करने की अपील।

कुछ भ्रांतियां, जो नाहक इस्लाम को कर रही है बदनाम

–हसल जमालपुरी–

इस्लाम के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। जो इस्लाम को नहीं मानते हैं उन्हें यह पता नहीं होने के कारण इस प्रकार का भ्रम होता है। आजकल इस्लाम के बारे में दुष्प्रचार करने वाले या फिर पश्चिमी पैसे से पैदा हुए आतंकवादी इस्लामिक साम्राज्य की बात करने लगे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस प्रकार का कोई चिंतन इस्लाम में नहीं है। यह विशुद्ध रूप से जीवन जीने का एक आसान चिंतन है जो अमन पसंद लोगों को एक प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। मसलन इन दिनों इस्लामिक गंणतंत्र पर अनावश्यक विवाद खड़ा जा रहा है। दरअसल, इस्लामी विधिशास्त्र में कहीं भी मकसद-ए-शरिया सिद्धांत को समर्थन नहीं दिया गया है। दरअसल, इस सिद्धांत के अनुसार एक पृथक इस्लामी राज्य की स्थापना की कल्पना की जाती है। जहां के बारे में बताया जाता है कि इस्लाम को ना मानने वालों के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाता है और गैर इस्लामिक नागरिकों को कमतर नागरिक समझा जाता है। इस्लाम में निहित धार्मिक स्वतंत्रता पर आधारित शिक्षाओं के अनुसार किसी भी धर्म को मानना या अनुपालन करना कोई मजबूरी नहीं है। हालांकि धर्म के आधार पर पृथक राज्य की अवधारणा कोई बेहतर कल्पना भी नहीं है। इस्लामिक गणतंत्र का सिद्धांत नवीन सोच है। इस्लामिक विधि शास्त्र में ऐसी कोई अवधारणा नहीं है।

यदि ऐसा होता तो वह राज्य जहां मुसलमानों के सबसे पवित्र स्थान मक्का-मदीना स्थित हैं, को सउदी अरब की रियासत के नाम से जाना जाता है ना कि सउदी अरब की मुस्लिम रियासत के नाम से। आजकल कुछ लोग रियासत-ए-मदीना का जिक्र करते हैं लेकिन वे राज चलाने के लिए बनाए गए संविधान मिश्क-ए- मदीना, जिसे हजरत मोहम्मद साहब ने बनाया था, को पढ़ना भूल जाते हैं, जिसमें हजरत ने साफ-साफ कहा है कि मदीना में रहने वाले गैर मुसलमानों की पूर्ण सामाजिक व सांस्कृतिक समानता का हम सम्मान करते हैं। इसके अलावा वे यहूदियों और मुसलमानों को परिच्छेद 25 के मुताबिक एक ही 'उम्माह' का मानते हैं। पूरे इस्लामी इतिहास में ना तो हजर साहब ने और ना ही 1300 साल में जन्में मुस्लिम खलीफाओं ने दौलत-ए- इस्लामिया पर आधारित राज का नाम लिया बल्कि इस्लाम में सदा लोकतंत्र, समानता एवं मानवीय मूल्यों पर आधारित समाज का समर्थन किया है। अत: ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि किसी राज को इस्लाम पर आधारित नाम दिया जाए, जिसकी वजह से इस शांतिपूर्ण धर्म को पूर्वाग्रह से ग्रसित एक मजहब समझा जाए।

उसी प्रकार इस्लाम में पड़ोसियों के बारे में भी कई प्रकार के पूर्वाग्रह लोग पाल रखे हैं। इस बात की जानकारी खुद इमान वालों को भी नहीं है। इस्लाम में जीवन को जीने का पूरा कायदा दिया गया है। यह मुस्लिमों को भाईचारे, शांति और पड़ोसियों के प्रति प्यार-मुहब्बत रखने का उपदेश देता है। इस्लाम अपने पड़ोसियों के मजहब पर विचार किए बिना उनके साथ आपसी रिश्ते-सहारे और सहयोग रखने पर जोर देता है और साथ ही पड़ोसियों से किसी भी रूप में घृणा करने या नुकसान पहुंचाने के लिए भी मना करता है। एक मुस्लिम होने के नाते यह स्वीकार करना चाहिए कि सभी मनुष्य आदन और हव्वा के संताने हैं और इसलिए सभी आपस में बराबर हैं। कुरान मजीद में भी यह कहा गया है, ''अल्ला की खिदमत करो और उसके साथ किसी और को खड़ा ना करो और अपने माता-पिता, रिश्तेदारों, अनाथों, जरूरतमंदों, पड़ोसियों, अजनबियों, अपने साथियों, मुसाफिरों और भले आदमियों के साथ अच्छा बर्ताव करो क्योंकि अल्ला खुदपरस्तों तथा बढ़बोलों को प्यार नहीं करता।'' कुरान-4:36A पैगम मोहम्मद साहब ने यह भी कहा है, ''फरिश्ता जिबरिल ने बार-बार मुझे अपने पड़ोसियों की देख-रेख करने के लिए कहा जब तक की मैं यह नहीं समझने लगा कि अल्ला ने ही अपना वारिस बनाएंगे। उन्होंने इस पर भी जोड़ दिया कि आपके घर से अगले घर में रहने वाला ही व्यक्ति आपका पड़ोसी नहीं है बल्कि सभी दिशाओं में रहने वाले 40 घरों तक के लोग भी आपके पड़ोसी ही हैं। अगर किसी मुस्लिम का पड़ोसी भूखा हो तो उसे भी खाना नहीं खाना चाहिए।'' इसका मतलब यह है कि मुस्लिम को अपने पड़ोसी के सुख-दुख के बांटते हुए उनके लिए भी वही कामना करनी चाहिए, जो वे खुद के लिए करते हों। पड़ोसियों के उच्च अधिकारों के बारे में पैगंबर कहते हैं, ''वे इंसान जो अल्लाह और कयामत के दिन में विश्वास रखते हैं कभी भी अपने पड़ोसियों के लिए मुश्किलें और परेशानियां पैदा ना करें। अपने मेहमानों का एजाज करें और सिर्फ अच्छा बोलें या फिर चुप रहें।'' बुखारी। और साथ यह भी कहा गया है, ''जो अल्लाह और कयामत के दिन में विश्वास रखते हैं वे अपने पड़ोसियों के साथ भलाई करें।'' संक्षेप में हरेक सच्चा मुस्लिम अपने पड़ोसियों की जाति, तबके, मजहब पर विचार किए बिना उनके साथ बढ़िया बर्ताव करने और उनकी मदद करने और उनका अदब करने और उनके प्रति दया भाव रखने के लिए बाध्य है। अल्ला पड़ोसियों के अधिकारों को एक मजहबी जिम्मेदारी समझने और इंसानियत की ओर एक कदम बढ़ाने में मदद करे।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मुस्लिम की दाढ़ी देखते ही लोग पहले से यह विचार बना लेते हैं कि यह बंदा जरूर एक पक्षीय होगा। यह बंदा खतरनाक होगा। यह बंदा इस्लामिक राष्ट्र में विश्वास करने वाला होगा और जरूर अपने पड़ोसियों से लड़ाई करता होगा लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मुसलमान नेक होता है, यदि वह सच्चा मुसलमान है तो। वह अपने पड़ोसी से अच्छा व्यवहार करेगा और कभी भी इस्लामी राष्ट्र की बात नहीं करेगा। यदि कोई करता है तो वह सच्चा मुसलमान नहीं है। जिस प्रकार हिन्दुओं के लिए उनके तीर्थ पवित्र हैं उसी प्रकार इस्लाम के मानने वालों के लिए मक्का और मदीना पवित्र हैं। इस्लाम के मानने वाले अपने धर्म के प्रति पायबंद हैं। नमाज, जकात, रोजा, हज उनके जीवन जीने का ढंग है। यह कारण है कि दुनिया में इस्लाम बड़े तेजी से फैला। आज कुछ लोग इस महान धर्म को विवादित और संकुचित बना रहे हैं। इसके लिए इस्लाम के मानने वाले भी दोषी हैं। हमें खुद के गिरेबान में भी झांकना होगा और हमारे खिलाफ जो दुष्प्रचार चल रहा है उसे काउंटर करना होगा।

हिम तेंदुए और अन्य लुप्त हो रहे जानवरों को बचाने में सहायक सिद्ध होगी सिक्योर हिमालय परियोजना

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश वन्य प्राणी प्रभाग आगामी 19 सितम्बर, 2019 को भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम-वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा सिक्योर हिमालय

परियोजना ''आजिविका संवर्धन, संरक्षण सतत् उपयोग एवं उच्च हिमालय परिस्थितिकी तंत्र के पुन: स्थापन'' की प्रारंभिक कार्यशाला 19 सितम्बर, 2019 को शिमला के होटल होलीडे होम में आयोजित की गई। परियोजना की राज्य परियोजना निदेशक एवं प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्यप्राणी) डा. सविता ने कहा कि यह परियोजना वैश्विक पर्यावर्णीय सुविधा के अन्तर्गत वित्तपोषित है और हिमाचल प्रदेश के लाहौल, पांगी एवं किन्नौर परिदृश्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य वन्य प्राणी प्रभाग वन विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। परियोजना के उद्देश्य हिम तेंदुए एवं अन्य लुप्तप्राय वन्य जीवों और उनके आवासों को सुरक्षित करने हेतु उच्च हिमालयी क्षेत्रों का बेहतर प्रबंधन, इन क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम करने हेतु बेहतर और विविध आजीविका के अवसर, सतत् प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एवं संरक्षण हेतु समुदाय और सरकारी संस्थानों की भागीदारी सुनिश्चित करना, वन्य जीव अपराध और सम्बंधित खतरों को कम करने हेतु प्रवर्तन, निगरानी और सहयोग को बढ़ावा तथा संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु बेहतर ज्ञान और सूचना प्रणाली का सृजन करना है।

डा. सविता ने बताया कि हिम तेंदुआ 12 देशों में पाया जाता है। भारत में इसकी आबादी 400 से 700 के बीच में है और पूरे विश्व में 3900 से 6400 के बीच में है। हिमाचल में हम 49 गिन पाये हैं और यहां पर 85 से 100 के बीच में होने की संभावना है। यह परियोजना हिमाचल, सिक्किम, उत्तराखण्ड, जम्मू-कश्मीर चार राज्यों में 30 मार्च 2024 तक चलाई जा रही है। यह परियोजना से हिम तेंदुए और अन्य लुप्त हो रहे जानवरों को बचाने में सहायक सिद्ध होगी।

यह परियोजना वर्ष 2018-19 में प्रारम्भ हुई और वर्ष 2024 तक जारी रहेगी। इस परियोजना का कुल परिव्यय 130 करोड़ रुपये है। जिसमें से 21 करोड़ रुपये की धनराशि अनुदान के रुप में व 109 करोड़ रुपये की धनराशि संयुक्त राष्ट्र विकास तथा केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा सह वितपोषित की जाएगी।

यह प्रारंभिक परियोजना कार्यशाला विभिन्न हित धारकों के बीच साझेदारी बनाने की दिशा में पहला कदम होगा व इससे यह सुनिश्चित होगा कि विभिन्न हित धारक इस परियोजना को अपना समझ कर अपनाएं। इस कार्यशाला में विभिन्न तकनीकी सत्रों तथा परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर आपसी विचार विर्मश के द्वारा एक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद् मिलेगी व विभिन्न हित धारकों में इस परियोजना के उद्देश्य तथा निर्धारित लक्ष्यों के बारे में एक समझ विकसित होगी।

डा. सविता ने सूचित किया है कि वन्य प्राणी प्रभाग, वन विभाग एक बार में प्रयोग आने वाले प्लास्टिक के न्यूनतम प्रयोग द्वारा इस कार्यक्रम को प्लास्टिक मुक्त कार्यक्रम के रुप में मनाएंगे।

यह कार्यशाला इस परियोजना से संबन्धित सभी हित धारकों को एक मंच प्रदान करेगी और वन विभाग, अन्य प्रमुख विभागों, जैवविविधता प्रबंध कमेटियों, सामाजिक क्षेत्र तथा स्थानीय समुदाय द्वारा परिदृश्य तथा इसके प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए किये जा रहे प्रयासों में समन्वय स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगी।

इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि माननीय वन, परिवहन खेल एवं युवा सेवाएं मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने कहा कि पहले हिम तेंदुआ देख लोग उसका शिकार करने के लिये इकट्ठे होते थे परन्तु अब लोग उन्हें बचाने के लिये साथ आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में हमें जन सहयोग से मिल कर परिणाम देने हैं और न.-1 पर जाना है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य के विकास को लेकर जो भी लोग जयराम सरकार में अपने सुझाव देना चाहे उनका स्वागत है। रोड़ सेफ्टी पर मन्त्री ने कहा कि हम लोगों को जागरूक कर राज्य को जीरो प्रतिशत चलान फ्री स्टेट बनायेंगे।

इस अवसर पर डॉ रूचि पंत ने कहा कि यह परियोजना हिम तेंदुए को बचाने के लिये लाई गई है। उन्होंने बताया कि 23 अक्तूबर को विश्व हिम तेंदुआ दिवस पर दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन किया जायेगा जिसमें सभी 12 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसमें हिमाचल के लोगों को भी आमन्त्रित किया और कहा कि वह अपने अनुभव हिम तेंदुए के बारे में सांझा करें।

अजय कुमार, प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन बल प्रमुख) ने कहा कि यह कार्यक्रम अन्य देशों में भी चलाया जा रहा है। इस परियोजना में सभी विभाग व लोग मिलकर काम करेंगे और हिम तेंदुए को बचाने के हर सम्भव प्रयास किये जायेंगे।

राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) ने कहा कि एक जीव को लेकर यह सारी परियोजना है इसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी सराहनीय है। स्थानीय लोगों का सहयोग न होने की वजह से ज्यादातर प्रोजैक्ट फेल होते हैं। उन्होने कहा कि पहले एक दो सालों में परियोजना के आकार को बढ़ाने की दिशा में कार्य करना होगा।

इस कार्यशाला में लाहौल, पांगी तथा किन्नौर परिदृश्य से लगभग 100 से अधिक हित धारकों के अतिरिक्त प्रमुख विभागों के अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन के अधिकारी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रतिनिधि, वन विभाग के अधिकारी तथा इन क्षेत्रों में सक्रिय गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों ने भाग लिया।

एक वर्ष बाद भी नसीब नहीं हुए यूनिवर्सल हैल्थ प्रोटैक्शन स्कीम के स्वास्थ्य कार्ड

शिमला/शैल। शिमला जिला के विकास खण्ड मशोबरा की ग्राम पंचायत पीरन के टूहाई गांव के लोगों को वर्ष 2018 के दौरान चार सौ रुपये की राशि जमा करने के बावजूद भी आज तक स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड नसीब नहीं हो पाए हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई हि.प्र. यूनिवर्सल हैल्थ प्रोटैक्शन स्कीम के तहत पीरन पंचायत में स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर लगाया गया था जिसमें लोगों

H.P. Universal Health Protection Scheme

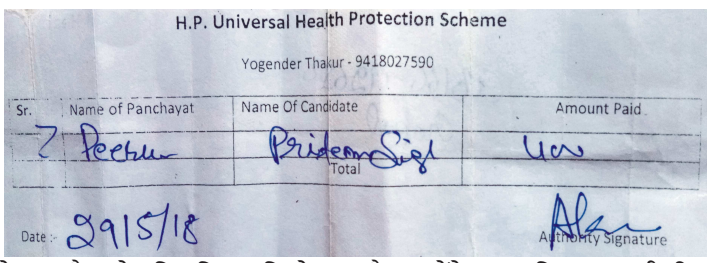

Yogender Thakur - 9418027590

Sr.	Name of Panchayat	Name Of Candidate	Amount Paid
7	Peeru	Pridam Singh	400

Total

Date 29/5/18

Authority Signature

से चार सौ रुपये प्रति परिवार राशि लेकर सप्ताह के भीतर स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन आज तक स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं।

पीरन पंचायत के गांव टूहाई निवासी प्रीतम ठाकुर, रोशन लाल, देवेन्द्र कुमार सहित अनेक लोगों ने स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड न मिलने बारे पुष्टि की है। इन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनके साथ एक भद्दा मजाक किया गया है और उन्हें कार्ड का इंतजार करते हुए एक वर्ष से अधिक समय हो चुका है। प्रीतम ठाकुर ने कहा कि हि. प्र. यूनिवर्सल हैल्थ प्रोटैक्शन स्कीम के स्मार्ट कार्ड का एक साल से इंतजार करते करते लोग सरकार की नई हिम केयर योजना के तहत भी स्वास्थ्य कार्ड बनाने से वंचित रह गए हैं और गरीब लोगों को कर्जा उठाकर अपना इलाज करवाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक वर्ष बीत जाने के उपरांत हि.प्र.यूनिवर्सल प्रोटैक्शन स्कीम के स्वास्थ्य कार्ड की वैधता वैसे ही समाप्त हो जाती है। रोशन लाल का कहना है कि स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड न मिलने पर उन्हे अपनी माता के इलाज पर कर्ज लेकर हजारों की राशि व्यय करनी पड़ी।

प्रीतम ठाकुर ने बताया कि हि. प्र. यूनिवर्सल हैल्थ प्रोटैक्शन स्कीम के तहत पीरन में लगाए गए शिविर के प्रभारी गोपाल शर्मा ने उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य कार्ड देने का आश्वासन दिया था। दूरभाष पर जब गोपाल शर्मा से बात की गई तो उन्होने बताया कि उनके द्वारा केवल लाभार्थी का पंजीकरण एवं अन्य औपचारिकतायें पूर्ण करवाई गई थी और स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड उपलब्ध करवाना संबंधित प्रोजेक्ट अधिकारी का दायित्व बनता था।

प्रीतम ठाकुर ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि हि.प्र.यूनिवर्सल हैल्थ प्रोटैक्शन स्कीम के तहत जिन लोगों के साथ धोखा हुआ है ऐसे दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही की जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्र के भोलेभाले लोगों के साथ फिर ऐसा भद्दा मजाक न हो। उन्होने कहा कि सरकार लोगों के कल्याण के लिए योजनायें बनाती है परन्तु योजनाओं के कार्यान्वयन में अधिकारियों द्वारा लापरवाही की जाती है जिस कारण गरीब लोग सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं।

बीएमओ मशोबरा डॉ. वीना गुप्ता से जब इस बारे पूछा गया तो उन्होंने इस बारे अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि उन्होंने गत दो माह पहले बीएमओ मशोबरा का कार्यभार संभाला है।

हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2019 बनाना प्रस्तावित:डॉ.बाल्दी

शिमला/शैल। मुख्य सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2019 के प्रारूप को तैयार करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान डॉ. बाल्दी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2019 का लक्ष्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश को आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करना और सुरक्षित, पर्यावरण के अनुकूल, समावेशी व एकीकृत गतिशीलता प्रदान करना है।

मुख्य सचिव ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों और भारत सरकार के दृष्टिकोण के साथ राज्य में 2030 तक शत प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही इस नीति द्वारा पर्यावरण संरक्षण, इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग में तेजी लाना तथा परिवहन की स्थाई प्रणाली को बढ़ावा देना है और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सार्वजनिक व निजी चार्जिंग बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है।

उन्होंने बताया कि नीति के तहत आंतरिक दहन इंजन (ICE) से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस नीति को सरकारी संस्थाओं द्वारा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने व रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए तैयार किया जा रहा है।

डॉ. बाल्दी ने कहा कि नीति का उद्देश्य जनहित में वांछित नीतिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक महत्व की रणनीति विकसित करना है। उन्होंने कहा कि यह नीति राजकोषीय व गैर राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक को अपनाने को बढ़ावा देगी। इसके द्वारा भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों द्वारा सार्वजनिक चार्जिंग के बुनियादी ढांचे के लिए अधिसूचित मानकों के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के लिए समर्पित बुनियादी ढांचे के निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि निजी चार्जिंग स्टेशन को बढ़ावा देने तथा बुनियादी ढ़ाचा स्थापित करने के लिए व्यवहारिक व्यापार मॉडल विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत होटल तथा शॉपिंग मॉल जैसे व्यवसायिक भवनों में चार्जिंग स्पॉट का प्रावधान रखा गया है। पूरे प्रदेश में घरेलू उपयोगकर्ता इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बिजली की घरेलू दर वसूली जाएगी। सार्वजनिक चार्जिंग सुविधा और चार्जिंग स्टेशनों में 'नॉन डोमेस्टिक, नॉन कमर्शियल' बिजली की दरें लागू होंगी। हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग समय-समय पर इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों की बिजली दरों को निर्धारित करने वाला अंतिम प्राधिकरण होगा।

उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड लिमिटेड को मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट्स एंड पावर विभाग द्वारा राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग व्यवस्था स्थापित करने के लिए राज्य नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। राज्य नोडल एजेंसी सार्वजनिक व्यवसायिक चार्जिंग स्टेशनों पर सेवा शुल्कों की दरों को निर्धारित करेंगी। उन्होंने नोडल एजेंसी को प्रमुख मार्गों पर चार्जिंग स्टेशनों की सम्भावनाओं को तलाशने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नीति का उद्देश्य स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना भी है जिसके लिए राज्य सरकार इलेक्ट्रीक वाहनों की बैटरी और संबंधित पुरजों के निर्माण और निपटान के लिए प्रोत्साहन देगी। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश औद्योगिक नीति के अनुसार समय-समय पर पात्र उद्यमियों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस नीति को लागू करने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए जहां वांछित हो वहां प्रक्रिया और रूपरेखा विकसित करने हेतु एक उच्च राज्य स्तरीय समिति का गठन भी किया गया है।

कॉर्पोरेट टैक्स 22%और नई घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए 15%,कई वित्तीय राहतों का ऐलान

शिमला/शैल। सरकार आयकर अधिनियम 1961 और वित्त (संख्या 2) अधिनियम 2019 में कुछ संशोधन करने के लिए कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश 2019 लेकर आई है। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने गोवा में एक प्रेस वार्ता के दौरान यह बात कही।

वित्त मंत्री ने इस संशोधनों की विशेषताओं के बारे में बताया कि विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए आयकर अधिनियम में एक नया प्रावधान डाला गया है, जो वित्तीय वर्ष 2019 – 20 से प्रभावी होगा। यह किसी भी घरेलू कंपनी को 22% की दर से आयकर का भुगतान करने का विकल्प देता है। इसके लिए शर्त यह है कि वह किसी तरह की छूट/प्रोत्साहन नहीं लेंगे। सरचार्ज और उपकर को मिलाकर कंपनियों के लिए प्रभावी कर की दर 25.17% होगी। ऐसी कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान करने की आवश्यकता भी नहीं होगी।

विनिर्माण क्षेत्र में ताजा निवेश को आकर्षित करने और सरकार की 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने के लिए आयकर अधिनियम में एक नए प्रावधान को शामिल किया गया है। यह वित्तीय वर्ष 2019 – 20 से प्रभावी होगा। ऐसी कोई भी नई घरेलू कंपनी जो 1 अक्तूबर 2019 या उसके बाद स्थापित हुई हो, उसे नए निवेश को शामिल करने की अनुमति होगी। उसके पास 15% की दर से कर चुकाने का विकल्प होगा। यह लाभ उन कंपनियों के लिए उपलब्ध है जो किसी तरह की छूट/प्रोत्साहन का लाभ नहीं उठाती हैं और उनका उत्पादन 31 मार्च, 2023 या उससे पहले शुरू हो जाएगा। सरचार्ज और उपकर मिलाकर इन कंपनियों के लिए प्रभावी कर की दर 17.01% होगी। ऐसी कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान करने की आवश्यकता भी नहीं होगी।

एक कंपनी जो रियायती कर व्यवस्था का विकल्प नहीं चुनती है और कर छूट/प्रोत्साहन का लाभ उठाती है, वे पूर्व – संशोधित दर पर ही कर का भुगतान करती रहेगी। हालांकि, ये कंपनियां अपने कर छूट की अवधि समाप्त होने के बाद रियायती कर व्यवस्था का विकल्प चुन सकती हैं। विकल्प चुनने के बाद वे 22% की दर से कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे और एक बार इस्तेमाल करने के बाद इस विकल्प को वापस नहीं लिया जा सकता है। ऐसी कंपनियों जो छूट/प्रोत्साहन का लाभ उठाना जारी रखती हैं, उन्हें राहत प्रदान करने के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर की दर को 18.5% से घटाकर 15% कर दिया गया है।

पूंजी बाजार में धन के प्रभाव को स्थिर बनाए रखने के लिए वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 द्वारा बढ़ाया सरचार्ज कंपनी में शेयरों की बिक्री अथवा इक्विटी फंड यूनिट की बिक्री अथवा प्रतिभूति लेनदेन कर के लिए उत्तरदायी व्यवसायिक ट्रस्ट की एक इकाई को एक व्यक्ति,एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी द्वारा होने वाले पूंजीगत लाभ पर प्रभावी नहीं होगा।

बढ़ा हुआ सरचार्ज विदेशी पोर्टफोलियो वाले निवेशकों (एफपीआई) द्वारा डेरिवेटिव्स समेत किसी भी प्रतिभूति की बिक्री से होने वाले पूंजीगत लाभ पर भी लागू नहीं होगा।

5 जुलाई 2019 से पहले शेयरों के बायबैक का ऐलान करने वाली सूचीबद्ध कंपनियों को राहत पहुंचाने के क्रम में यह फैसला लिया गया है कि उन्हें शेयरों के बायबैक पर लगने वाला कर नहीं देना होगा।

सरकार ने सीएसआर के तहत होने वाले 2% के खर्च को विस्तार देने का भी फैसला किया है। अब 2% सीआरआर राशि केंद्र अथवा राज्य सरकार अथवा किसी एजेंसी अथवा केंद्र व राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा वित्तपोषित इनक्यूबेटर्स पर भी खर्च की जा सकेगी। इसके साथ ही एसडीजी को प्रोत्साहन करने के मकसद से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं मेडिसिन के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले सरकारी विश्वविद्यालयों, आईआईटी, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और स्वायत्त संस्थाओं (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आईसीएआर, आईसीएमआर, सीएसआईआर, डीएई, डीआरडीओ, डीएसटी के संरक्षण में स्थापित) के लिए भी योगदान दे सकेंगे।

कॉर्पोरेट कर की दर में कटौती और दूसरी राहतों के ऐलान से राजस्व में 1,45,000 करोड़ रुपये की कटौती होगी।

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा गोवा में जी.एस.टी. काउंसिल की बैठक में महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों को लागू करने व आर्थिक वृद्धि बढ़ाने के लिए कई घोषणाएं करने के निर्णय को ऐतिहासिक बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 22 प्रतिशत किए जाने का निर्णय सराहनीय है तथा इन घोषणाओं के दूरगामी परिणाम आएंगे तथा देश की अर्थ व्यवस्था में भी सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गीतशील एवं कुशल नेतृत्व में देश विश्व की एक बड़ी आर्थिकी बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि इसमें उद्योग जगत, युवा उद्यमियों तथा एम.एस.एम.ई. क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद ने होटलों पर जीएसटी को कम करने की सिफारिश की है। अब 1000 रुपये तक के टैरिफ वाले होटलों पर कमरे की दर शून्य होगी, जबकि 1001 से 7500 रुपये तक के कमरे के टैरिफ की दर 12 प्रतिशत होगी। उन्होंने कहा कि 7501 रुपये से ऊपर के टैरिफ वाले कमरों के लिए अब दर 18 प्रतिशत होगी। उन्होंने कहा कि होटलों के लिए 28 प्रतिशत के स्लैब को समाप्त करने और होटलों पर जीएसटी दरों के युक्तिकरण से इस क्षेत्र में अधिक निवेश होगा और राज्य में पर्यटन के विकास में मदद मिलेगी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को वर्ष 2024 – 25 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है, जो सही मायने में नए भारत का उदय होगा। उन्होंने कहा कि आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार द्वारा नए सुधारों के माध्यम से उद्योग जगत में नई चेतना लाने का प्रयास किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जी.एस.टी. काउंसिल की बैठक में लिए गए निर्णय तथा टैक्स में छूट देने से 'मेक इन इंडिया' के तहत निवेश, रोजगार और आर्थिक गतिविधियां बढेंगी तथा इससे राजस्व में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि देश की अर्थ व्यवस्था में तेजी लाने के लिए 4 सप्ताह के भीतर पांचवीं बार इतने बड़े स्तर के निर्णय लिए गए हैं।

जय राम ठाकुर ने आशा व्यक्त की कि इन निर्णयों के सकारात्मक परिणाम आएंगे तथा भारत एक मजबूत आर्थिकी बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि आज काउंसिल द्वारा लिए गए निर्णयों के कुछ ही समय उपरान्त शेयर बाजार में 1900 अंक का उछाल आया है, जो आर्थिकी के लिए एक शुभ संकेत है।

हिमाचल को बीबीएमबी परियोजनाओं में पूर्णकालिक सदस्य बनाया जाए:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुन: भारत सरकार से मांग की है कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 में संशोधन कर हिमाचल प्रदेश को भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड (बीबीएमबी) परियोजनाओं में पूर्णकालिक सदस्य बनाया जाए ताकि लम्बित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सके।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने चण्डीगढ़ में आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद (एनजैडसी) की बैठक में भाग लेते हुए यह मांग उठाई। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में की गई इस बैठक में विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, उत्तरी क्षेत्र के मंत्रियों, भारत सरकार और उत्तरी राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने हमेशा राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए देश में विभिन्न प्रकार के बांधों के निर्माण के लिए अपनी उपजाऊ भूमि प्रदान की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार के राहत और पुनर्वास अधिकारियों की एक समन्वय समिति गठित की जाए ताकि हिमाचल प्रदेश के पौंग बांध विस्थापितों के पुनर्वास के लिए लम्बित मामलों का समयबद्ध समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय उच्च समिति भी गठित की जाए।

जय राम ठाकुर ने केन्द्र सरकार से 5 हेक्टेयर तक की वन भूमि के लिए वन स्वीकृतियां प्रदान करने का अधिकार राज्य सरकार को देने का आग्रह किया ताकि लघु कल्याणकारी योजनाएं समय पर पूरी हो सकें और प्रदेश का विकास वन स्वीकृतियों में देरी से बाधित न हो।

युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृति पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने पड़ोसी राज्यों के साथ संयुक्त रणनीति बनाई है, जो नशे से निपटने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने केन्द्र सरकार से आग्रह किया कि केन्द्रीय एजेंसियां सभी राज्यों के साथ नशे के व्यापार से संबंधित जानकारी सांझा करें। उन्होंने कहा कि राज्य की सीमा पर स्थित जिलों में सीसीटीवी कैमरे लगाकर प्रदेश में नशे के व्यापार पर निगरानी रखी जा सकती है।

जय राम ठाकुर ने शीघ्र ही पड़ोसी राज्यों के साथ अन्तर – राज्य सीमा विवादों के समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि लेह – लद्दाख के जिला प्रशासन ने हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल – स्पिति में अनाधिकृत कब्जा किया है। उन्होंने केन्द्रीय गृह मंत्री से इस मामले को शीघ्र निपटाने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नदियों के किनारे अवैध खदानों तथा अनाधिकृत खनन को रोकने के लिए संयुक्त रणनीति तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन को रोकने तथा दोषियों के विरूद्ध सख्ती से कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए।

जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश द्वारा काफी साल पहले ही पॉलीथीन के बैगों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था लेकिन दैनिक उपयोग के उत्पादों की पैकिंग के लिए पॉलीथीन का उपयोग किया जा रहा है, जो हिमाचल प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त राज्य बनाने में रूकावट बन रहा है। उन्होंने कहा कि आम जनता में प्लास्टिक से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे जागरूकता लाने की आवश्यकता है। उन्होंने उत्तर भारत के राज्यों से आग्रह किया कि वे अपने राज्य में प्लास्टिक के बैगों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाकर अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण स्थापित करें ताकि लोगों को प्रदूषणमुक्त वातावरण उपलब्ध हो सके।

जय राम ठाकुर ने केन्द्र सरकार से प्रदेश के सीमित संसाधनों को धयान में रखते हुए जम्मू – कश्मीर तथा उत्तर – पूर्वी राज्यों की तर्ज पर क्षेत्रीय क्नेक्टिविटी के लिए उड़ान योजना के तहत 90:10 की सुविधा प्रदान करने का भी आग्रह किया। उन्होंने केन्द्र सरकार से मण्डी जिला में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागचला के निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करने तथा राष्ट्र की सुरक्षा के लिए इसे राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित करने का भी आग्रह किया। उन्होंने चण्डीगढ़ – बद्दी रेल लाईन परियोजना को शीघ्र पूरा करने का भी अनुरोध किया।

इस अवसर पर सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह तथा मुख्य सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी भी उपस्थित थे।

सरकार का निर्णय एक अभूतपूर्व और साहसिक कदम:अध्यक्ष सीआईआई

शिमला/शैल। सीआईआई के अध्यक्ष विक्रम किरलोस्कर ने जारी किए अपने ब्यान में कहा कि वित्त मंत्री का मेगा कॉर्पोरेट टैक्स प्रोत्साहन निवेशकों की भावनाओं को बढ़ावा देने, कॉर्पोरेट

टैक्स में कटौती, विनिर्माण को प्रोत्साहित करने और अर्थव्यवस्था में एनिमल स्पिरिट को जागृत करने का प्रमुख कदम है। बिना किसी छूट के कॉर्पोरेट टैक्स को 30 % प्रतिशत से 22% प्रतिशत करना बहुत अच्छा निर्णय है क्योंकि उद्योगों की यह लंबे समय से मांग रही है। सरकार का निर्णय एक अभूतपूर्व और साहसिक कदम है। सीआईआई वित्त मंत्री का आभारी है कि वह उद्योग के सुझावों के लिए इतने ग्रहणशील और ओपन हैं। इस कदम ने उद्योग में सकारात्मक स्पिरिट को और बढ़ा दिया है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए एक निडर ट्रैक पर है कि भारत बाकी दुनिया के साथ कर दरों पर उतना ही प्रतिस्पर्धी हो जाए। यह भी इंगित करता है कि सरकार अर्थव्यवस्था की रिकवरी प्रक्रिया में मदद करने के लिए मार्ग के रूप में बढ़े कर का उपयोग करने के स्थान पर कर प्रोत्साहन का मार्ग को अपना रही है। त्योहारी सीजन से ठीक पहले इससे बेहतर खबर नहीं हो सकती थी क्योंकि अब पूरे क्षेत्र को जश्न मनाने का मौका मिला है।

टैक्स रेट कम करने से रिवेन्यू और कलेक्शन रेट बढ़ेगा:चंद्रजीत बनर्जी

शिमला/शैल। सीआईआई गोआ से वित्त मंत्री की घोषणा से हार्दिक प्रसन्न है। उद्योगों की लंबे समय से मांग

रही थी कि कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की जाए क्योंकि टैक्स की ऊंची दरों के कारण भारतीय उद्योग अपने प्रतिद्वंदियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे। कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर 22 प्रतिशत लेकर आना, मैट को घटाकर 15 प्रतिशत करना तथा नई कंपनियों पर 15 प्रतिशत टैक्स लगाने का निर्णय बेहद सकारात्मक होगा और इससे कंपनियों की लागत घटेगी।

बिना घाटे की परवाह किए इस प्रकार का निर्णय लेने के लिए सीआईआई वित्त मंत्री की सराहना करता है क्योंकि टैक्स रेट कम करने से रिवेन्यू खुद ब खुद बढ़ेगा और कलेक्शन रेट में भी वृद्धि होगी। सीआईआई को उम्मीद है कि यह वास्तव में उद्योग की एनिमल स्पिरिट को पुनर्जीवित करेगा और बाद में के बजाय अभी आर्थिक गतिविधि को तेज करने की चिंगारी पैदा करेगा।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

shailsamachar.co.in

रेनबो सुरक्षा इन्टरप्राईज पर लगा करोड़ो के घपले का आरोप

शिमला/शैल। पिछले दिनों वायरल हुए एक पत्र में स्वास्थ्य विभाग और मंत्री की कार्यप्रणाली पर लगे सवालों के बाद अब इन्दिरा गांधी मैडिकल कालिज प्रबन्धन कालिज में तैनात सुरक्षा कर्मीयों को लेकर सवाल उठने शुरू हो गये हैं। यह सवाल सीटू के राज्यध्यक्ष विजेन्द्र मैहरा ने लगाये हैं। आईजीएमसी में सुरक्षा प्रदान करने का काम एक सिक्योरिटी ऐजैन्सी रेनबो इन्टरप्राईज को दिया गया है। आरोप है कि इस ऐजैन्सी ने 187 लोग सुरक्षा में रखने थे लेकिन रखे सिर्फ 137 ही हैं और सरकार से 187 के पैसे लिये जा रहे हैं। इस तरह 50 सुरक्षा कर्मीयों के नाम पर लिया जा रहा पैसा सीधा भ्रष्टाचार है। सीटू नेताओं विजेन्द्र मेहरा और रमाकांत मिश्रा के मुताबिक तीन करोड़ के ठेके में एक करोड़ रुपए से ज्यादा घपला कर दिया गया है। इस मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट के मुख्यन्यायाधीश को जांच की मांग को लेकर सीटू की ओर से चिट्ठी भी लिखी जा रही है। मेहरा ने सवाल उठाए कि 187 सुरक्षा कर्मियों की निर्धारित संख्या में से 50 कम सुरक्षा कर्मियों का एक का 48 लाख रुपए, ईएसआई के मेडिकल फंड का 12 लाख रुपये, ईपीएफ का साढ़े 21 लाख रुपये, सुरक्षा कर्मियों की छुट्टियों के 15 लाख रुपये किसके खाते में चले गए। इसके अलावा सबसे कम अनुभव, योग्यता व गुणवत्ता के बावजूद रेनबो कम्पनी को ठेका कैसे मिला। व इतनी सारी अनियमितताओं के बावजूद रेनबो कम्पनी को एक साल के बाद ठेके की अवधि खत्म होने के बावजूद अवधि विस्तार कैसे और क्यों दी गयी।

उन्होंने कहा कि हिमाचल जोन के ईएसआई राज्य निदेशक की ओर से रेनबो कम्पनी पर ईएसआई के लाखों रुपये के गबन की रिपोर्ट देने के बावजूद रेनबो कम्पनी आईजीएमसी में कैसे अपना कार्य जारी रखे हुए है। इस पूरे मामले में घोटालों का सूत्रधार कौन है। टेंडर वितरण के समय बिना लाइसेंस के रेनबो कम्पनी को ठेका कैसे व किन नियमों के तहत दिया गया। इस कम्पनी का श्रम विभाग में पंजीकरण व लाइसेंस ठेका मिलने के लगभग एक साल बाद अगस्त 2019 में बना जो नियमों के पूरी तरह विपरीत था।

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि ठेके के आवंटन के समय जमा की जाने वाली 26 लाख रुपए की राशि या मार्जिन मनी जमा न होने के बावजूद भी यह ठेका रेनबो कम्पनी को क्यों दिया गया। रेनबो कम्पनी ने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तो के अनुसार आज तक मजदूरों की हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक क्यों नहीं लगाए।

इसके अलावा ठेके की शर्तो के अनुसार सुपरवाइजर के चार पद सृजित थे व जिनका वेतन 40 हजार रुपए तय था। इसी तरह मुख्य सुरक्षा अधिकारी का वेतन 50 हजार रुपये तय था। उन्हें केवल 18 से 23 हजार रुपये वेतन देकर इन पांच लोगों के वेतन से हर साल लगभग 14 लाख रुपये का घोटाला किया जा रहा है, उस पर प्रबंधन क्यों खामोश है।

आईजीएमसी की रेड क्रॉस बिल्डिंग जोकि असुरक्षित घोषित की जा चुकी है उसमें रेनबो कम्पनी को कमरे देने की मेहरबानी के पीछे क्या मुख्य कारण है। अगर भविष्य में यह बिल्डिंग अचानक गिर जाए व किसी की मौत हो जाये तो क्या उसकी जिम्मेवारी आइजीएमसी प्रबंधन व रेनबो कम्पनी लेगी। कहीं असुरक्षित घोषित किये गए रेड क्रॉस भवन के इन कमरों को

मेहरा ने जांच के लिये लिखा उच्च न्यायालय को पत्र

माननीय मुख्य न्यायधीश,
उच्च न्यायालय,
हिमाचल प्रदेश,शिमला।

विषय: – आईजीएमसी शिमला में न्यायिक जांच के विषय में।

महोदय

विनम्र निवेदन यह है कि आईजीएमसी शिमला पिछले कुछ समय से भ्रष्टाचार व अनियमितताओं का अड्डा बना हुआ है। आईजीएमसी शिमला में सुरक्षा कार्य को कार्यान्वित करने के लिए आईजीएमसी प्रबंधन द्वारा रेनबो कम्पनी को दिए गए कुल तीन करोड़ रुपये के ठेके में एक वर्ष में लगभग एक करोड़ 10 लाख रुपये का घोटाला व अन्य अनियमितताएं हुई हैं। इसलिए इस विषय पर आप स्वयं अथवा उच्च न्यायालय के किसी माननीय न्यायधीश से न्यायिक जांच करवाने का कष्ट करें। मैं आपका अत्यंत आभारी हूँगा।

मान्यवर, आईजीएमसी में जिस रेनबो सिक्योरिटी एंटरप्राइज को सिक्योरिटी का ठेका दिया गया है, उसका आबंटन नियमों के विपरीत हुआ है। योग्यता में ऊपर कई कम्पनियों को बाहर करके प्रबंधन की मिलीभगत से इस कार्य को अनुभव व गुणवत्ता में सबसे नीचे रेनबो कम्पनी को दे दिया गया। भ्रष्टाचार की शुरुआत यहीं से हुई व जो लगातार बढ़ती गयी। इस कम्पनी को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उसकी सेवा शर्तो के अनुसार कुल 187 सुरक्षा कर्मचारियों का ठेका इस कम्पनी को दिया गया। परन्तु इस कम्पनी ने केवल 137 लोग कार्य पर नियुक्त किये। इस कम्पनी के प्रबंधन ने 50 कम लोग इस कार्य पर लगाए व प्रबंधन के साथ मिलकर आईजीएमसी के इतिहास में सबसे बड़े घोटाले को जन्म दिया।

मान्यवर, इस ठेके में 50 लोगों की कम भर्ती करके कम्पनी प्रबंधन हर साल 48 लाख रुपये का घोटाला कर रहा है। यह पैसा रेनबो सिक्योरिटी कम्पनी प्रदेश सरकार व आईजीएमसी प्रबंधन से ले रही है परन्तु 50 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती न होने से यह पैसा रेनबो सिक्योरिटी की जेब में जा रहा है। इस कम्पनी ने पिछले एक वर्ष में मजदूरों के ईएसआई मेडिकल फंड का 12 लाख 11 हजार 760 रुपये सिक्योरिटी कर्मियों के खाते में नहीं डाला है। इसी तरह 21 लाख 54 हजार 240 रुपये की मजदूरों की एक वर्ष की ईपीएफ राशि कम्पनी प्रबंधन ने जमा नहीं करवाई है। मजदूरों की छुट्टियों का लगभग 14 लाख 96 हजार रुपये कम्पनी प्रबंधन खा गया है। कुल चार सुपरवाइजरों के वेतन में एक वर्ष में लगभग 14 लाख रुपये का डाका डाला गया है। इस तरह कुल मिलाकर एक करोड़ 10 लाख रुपये के महाघोटाले को रेनबो कम्पनी ने अंजाम दिया है जिसे आईजीएमसी प्रबंधन का खुला समर्थन रहा है। कुल ठेका राशि की 40 प्रतिशत राशि रेनबो कम्पनी व आईजीएमसी प्रबंधन हड़प कर गए हैं। इस तरह आईजीएमसी भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। इस भ्रष्टाचार में ठेकेदार के साथ आईजीएमसी प्रबंधन की भूमिका की जांच भी आवश्यक है।

जांच के बिंदु

1. 187 कुल सुरक्षा कर्मियों की निर्धारित संख्या में से 50 कम सुरक्षा कर्मियों के एक वर्ष में 48 लाख रुपये के गबन की जांच की जाए।
2. ईएसआई के मेडिकल फंड का 12 लाख रुपये के गबन की जांच की जाए।
3. ईपीएफ का साढ़े 21 लाख रुपये के गबन की जांच की जाए।
4. सुरक्षा कर्मियों की छुट्टियों का 15 लाख रुपये के गबन की जांच की जाए।
5. सबसे कम अनुभव, योग्यता व गुणवत्ता के बावजूद रेनबो कम्पनी को ठेका मिलने की मिलीभगत की जांच की जाए।
6. इतनी सारी अनियमितताओं के बावजूद रेनबो कम्पनी को एक साल के बाद ठेके के अवधि खत्म होने के बावजूद एक्सटेंशन देने की जांच की जाए।
7. माननीय उच्च न्यायालय के दिशानिर्देश पर राज्य के ठेका मजदूरों व विशेष तौर पर आईजीएमसी के कर्मचारियों के मुद्दे पर 5 अगस्त 2019 को हिमाचल प्रदेश के श्रम मंत्री की अध्यक्षता में हुई संविदा श्रम सलाहकार समिति की बैठक व बाद में उसके निर्देश पर श्रमयुक्त हिमाचल प्रदेश के निर्देश पर संयुक्त श्रमायुक्त की अध्यक्षता में हुई 23 अगस्त 2019 की बैठक में हिमाचल जोन के ईएसआई राज्य निदेशक द्वारा रेनबो कम्पनी पर ईएसआई के लाखों रुपये के गबन की रिपोर्ट देने के बावजूद रेनबो कम्पनी आईजीएमसी में अपना कार्य जारी रखे हुए है, इस पूरे मामले में गड़बड़ी की जांच की जाए।
8. टेंडर वितरण के समय बिना लाइसेंस के रेनबो कम्पनी को ठेका नियमों को ताक पर रख कर दिया गया। इस कम्पनी का श्रम विभाग में पंजीकरण व लाइसेंस ठेका मिलने के लगभग एक साल बाद अगस्त 2019 में बना जो नियमों के पूरी तरह विपरीत था। इस विषय की जांच की जाए।

अनैतिकता के कार्यो के लिए तो नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन सभी घोटालों व अनियमितताओं के बावजूद भी रेनबो कम्पनी का ठेका क्यों बरकरार है। विजेन्द्र मेहरा ने इस प्रकरण की जांच करवाये जाने को लेकर प्रदेश उच्च न्यायालय को यह पत्र लिखा है।

9. ठेके के आबंटन के समय जमा की जाने वाली 26 लाख रुपये की राशि अथवा मार्जिन मनी जमा न होने के बावजूद भी यह ठेका रेनबो कम्पनी को दिया गया। इसकी जांच की जाए।
10. रेनबो कम्पनी ने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तो के अनुसार आज तक मजदूरों की हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक नहीं लगाए। इस विषय की जांच की जाए।
11. ठेके की शर्तो के अनुसार सुपरवाइजर के चार पद सृजित थे व जिनका वेतन 40 हजार रुपये तय था। उन्हें केवल 18 से 23 हजार रुपये वेतन देकर इन चार लोगों के वेतन से हर वर्ष लगभग 14 लाख रुपये का घोटाला किया जा रहा है, इस पर जांच की जाए।
12. आईजीएमसी की रैड क्रॉस बिल्डिंग जोकि असुरक्षित घोषित की जा चुकी है, उसमें रेनबो कम्पनी द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। भविष्य में इस असुरक्षित बिल्डिंग के गिरने से किसी की भी मौत हो सकती है। इस विषय की गहनता से जांच की जाए।
13. इन सभी घोटालों व अनियमितताओं के बावजूद भी रेनबो कम्पनी का ठेका बरकरार है। इन सभी विषयों पर न्यायिक जांच बेहद आवश्यक है।

इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इन सभी विषयों की गहनता से जांच की जाए। मैं आपका अत्यंत आभारी हूँगा।। **विजेन्द्र मेहरा**

कुछ कर्मीयों के माध्यम से पलटवार का भी हुआ कमजोर प्रयास

दूसरी ओर आईजीएमसी में ही तैनात कुछ सुरक्षा कर्मीयों ने भी एक पत्रकार वार्ता में विजेन्द्र मेहरा के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए सीटू नेतृत्व पर ही गंभीर आरोप लगाये हैं। इन सुरक्षा कर्मीयों का आरोप है कि जब से इन्होंने सीटू का साथ छोड़ा है तभी से इन पर राजनीतिक दबाव डाला जा रहा है। इन कर्मीयों ने सीटू के ही लोगों पर इनके साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया है और इसमें विजेन्द्र मेहरा और एक लड़की सन्दीपा तक का नाम लिया है। सीटू द्वारा इनसे 1,35,000 रूपये लेने का भी आरोप लगाया है। लेकिन यह पैसा क्यों और किसके लिये लिया गया इसका कोई सन्तोषजनक जबाव नही दे

पाये। सीटू का आरोप है कि 187 सुरक्षा कर्मचारियों की जगह केवल 137 ही काम कर रहे हैं इस पर इन लोगों का जबाव था कि आईजीएमसी में 137 लोगों की हाजिरी तो मशीन द्वारा लगायी जा रही है। लेकिन बाकि के 50 लोग मैडिकल कालिज और के एन एच में अपनी सेवाएं दे रहे है। लेकिन वहां पर इनकी हाजिरी मशीन द्वारा नहीं लग रही है और इसीलिये इनके तैनात ही न होने का आरोप लगाया जा रहा है।

इस परिप्रेक्ष में जिस तरह से यह आरोप और प्रत्यारोप लगने शुरू हुए हैं इनकी असलियत एक निष्पक्ष जांच से ही सामने आ सकती है। अब जब मेहरा द्वारा उच्च न्यायालय को जांच के लिये पत्र लिख दिया गया है तो सारी निगाहें इस ओर लग गयी हैं। लेकिन इस सबमें यह सवाल अहम बन गया है कि सुरक्षा ऐजैन्सी पर लम्बे समय से आरोप लग रहे हैं और इनका सीधा संबंध–सरकार है। परन्तु सरकार इस पर लगातार चुप्पी बनाये हुए हैं और इसी चुप्पी से भ्रष्टाचार की अपरोक्ष में पुष्टि हो रही है।